मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2013-14

जो बहेगा जल
तो कल न मिलेगा जल
गाँव गाँव में एक ही नारा
जल प्रकृति का उपहार
इससे धरती का श्रृंगार

गाँव गाँव की यही कहानी हो, चार दीवारी के अन्दर पानी हो

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल
फरवरी 2014 से
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग,जिला

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग

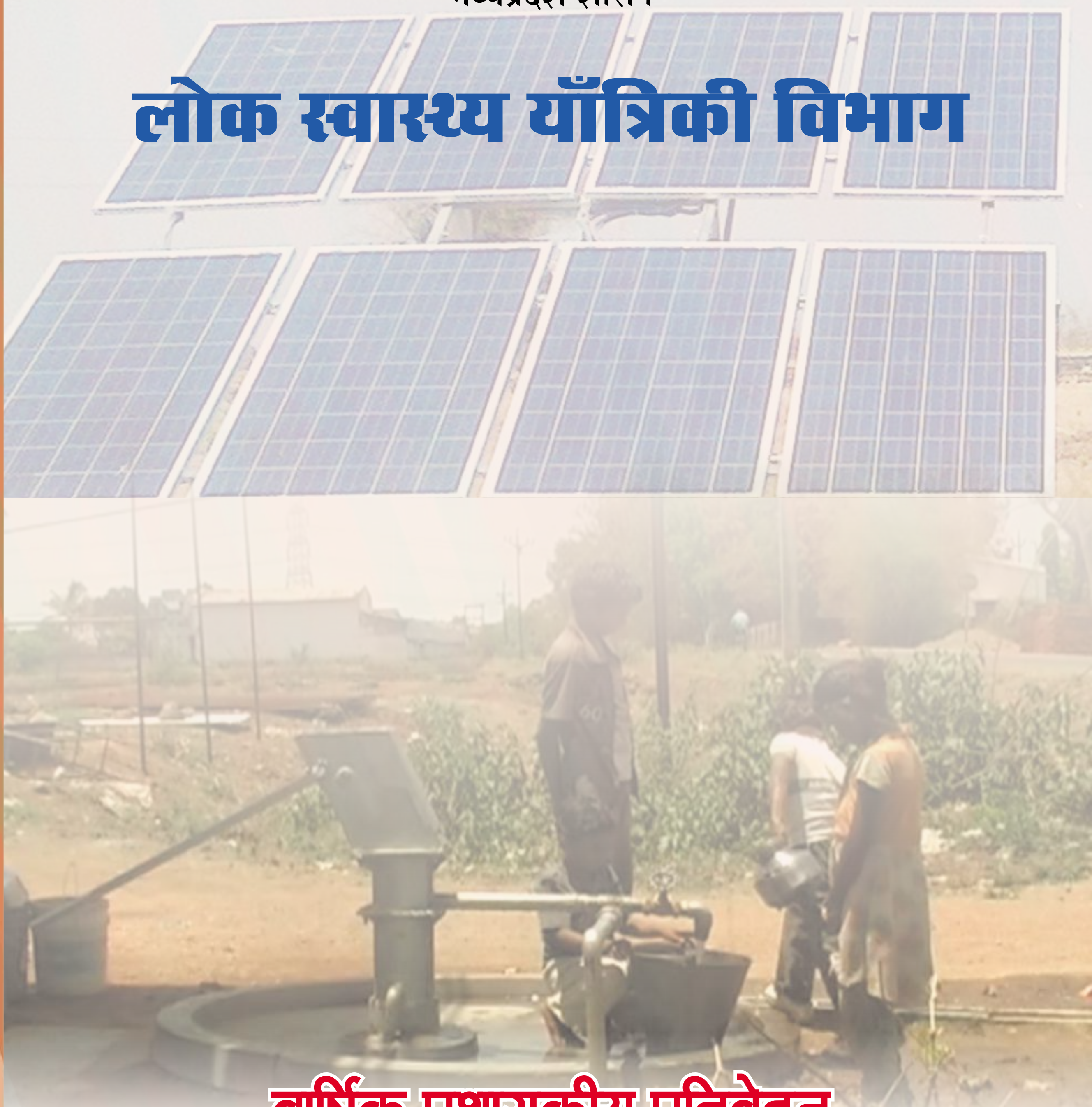

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2013-14

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
	भाग – एक	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	विभागीय संरचना–स्थापना संबंधी विवरण	1
1.3	परिक्षेत्र कार्यालय	1
1.4	विभागीय उद्देश्य एवं कार्य	2
	भाग – दो	
2.1	बजट विहंगावलोकन	3
2.2	अनुमोदित वार्षिक योजना वर्ष 2014–15	4
	भाग – तीन	
3.1	राज्य एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं	7
3.2	आदिवासी उपयोजना	13
3.3	अनुसूचित जाति उपयोजना	15
3.4	ग्रामीण नलजल/स्थलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन	16
3.5	एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत (आई.ए.पी.) जिलों में सौर ऊर्जा आधारित पम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था	16
3.6	ग्रामीण बसाहटों में स्थापित हैण्डपम्प एवं नलजल प्रदाय योजनायें	18
3.7	भू जल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम	20
3.8	गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्त्रोतों वाली बसाहटों में योजनाओं का विवरण	26
3.9	जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का विवरण	29
3.10	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम	29
3.11	ग्रीष्मकाल में पेयजल हेतु विशेष व्यवस्था	30
3.12	जनसंकल्प 2013 के अंतर्गत विभाग से संबंधित बिन्दुओं के क्रियान्वयन की स्थिति	31
3.13	100 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत विभाग से संबंधित बिन्दुओं के क्रियान्वयन की स्थिति	32
3.14	विभागीय नलकूप खनन मशीनों का विवरण	33
3.15	प्रशिक्षण कार्यक्रम	35
3.16	विभागीय कम्प्यूटरीकरण की प्रगति	36
3.17	नगरीय पेयजल कार्यक्रम	39
	भाग – चार	
4.1	सामान्य प्रशासनिक विषय	42
4.2	सूचना का अधिकार	44
4.3	वर्ष 2013 में विधान सभा प्रश्नों आदि से संबंधित कार्यों का विवरण	44
4.4	महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण– दिनांक 09 जनवरी 2014 पर कार्यवाही	45
	भाग– पाँच	
5.1	संकल्प 2010 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्याओं के समाधान के लिये ''मुख्य मंत्री पेयजल योजना'' का क्रियान्वयन	46
5.2	बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज	46
5.3	एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.) जिलों में सौर ऊर्जा आधारित पेयजल व्यवस्था	47
5.4	शालाओं में सौर ऊर्जा आधारित पम्प सेट्स की स्थापना	48
5.5	खदान क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पम्पों की स्थापना	49
5.6	राज्य जल सहायता संगठन	49
	भाग – छः	
6.1	विभागीय प्रकाशन से संबंधित जानकारी	56
	भाग – सात	
7.1	सारांश	56
8	मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित	58

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2013–14

मंत्री

माननीया सुश्री कुसुम सिंह महदेले

मंत्रालय

❖	प्रमुख सचिव	–	श्री एस. के. मिश्रा
❖	अपर सचिव (तकनीकी)	–	श्री जी.सी. चौधरी
❖	उप सचिव (स्थापना)	–	श्री पी.के. ठाकुर
❖	अवर सचिव (तकनीकी)	–	श्री एन. के. वैद्य

विभागाध्यक्ष

❖	प्रमुख अभियंता	–	श्री एन.के.सेहरा
❖	प्रमुख अभियंता (सलाहकार) एवं संचालक (जल सहायता संगठन)	–	श्री जी.एस.डामोर
❖	मुख्य अभियंता (भोपाल परिक्षेत्र)	–	श्री सी.एस.संकुले
❖	मुख्य अभियंता (ग्वालियर परिक्षेत्र)	–	श्री आर. एस. भदौरिया
❖	मुख्य अभियंता (इंदौर परिक्षेत्र)	–	श्री के.के. सोनगरिया
❖	मुख्य अभियंता (जबलपुर परिक्षेत्र)	–	श्री ए.के.जैन
❖	मुख्य अभियंता (वि. / यां.) भोपाल	–	श्री ए.के.सक्सेना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

❖	प्रबंध संचालक	–	श्री एस. के. मिश्रा
❖	मुख्य महाप्रबंधक	–	श्री एन.पी. मालवीय

1. भाग — एक

1.1 प्रस्तावना :—

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की नीतियों के अनुसार, शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चत करने हेतु पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण बसाहटों, शालाओं, आंगनवाडियों एवं गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन शासन की निर्धारित नीति/ मानदण्डों के आधार पर किया जाता है। विभाग द्वारा गतिवर्धित नगरीय जलप्रदाय कार्यक्रम (20,000 से कम जनसंख्या) की कुछ जल प्रदाय योजनाओं के कार्य भी प्रगतिरत हैं।

1.2 विभागीय संरचना — स्थापना सम्बन्धी विवरण :—

- **शासन स्तरीय :—**

  लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग मंत्रालय में प्रमुख सचिव पदस्थ हैं। उनके अधीन तकनीकी शाखा में एक अपर सचिव (तकनीकी) एवं अवर सचिव (तकनीकी) तथा स्थापना शाखा में एक उप सचिव कार्यरत हैं।

- **प्रमुख अभियन्ता कार्यालय :—**

  विभागाध्यक्ष के रूप में मुख्यालय में प्रमुख अभियंता पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियंता (सलाहकार) भी मुख्यालय में पदस्थ हैं। विभाग में जल सहायता संगठन प्रकोष्ठ के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता स्तर का संचालक का एक पद स्वीकृत हैं। प्रदेश में 5 परिक्षेत्र (चार सिविल एवं एक विद्युत/यॉंत्रिकी) कार्यालय हैं, जो मुख्य अभियन्ताओं के अधीन हैं। विभाग में स्वीकृत विभिन्न पदों की जानकारी निम्नानुसार है :—

  - मुख्य अभियन्ता (सिविल) — 04 पद
  - संचालक (जल सहायता संगठन) — 01 पद
  - मुख्य अभियन्ता (वि./यां.) — 01 पद
  - अधीक्षण यन्त्री (सिविल) — 24 पद
  - अधीक्षण यन्त्री (वि./यां.) — 05 पद
  - कार्यपालन यन्त्री (सिविल) — 74 पद
  - कार्यपालन यन्त्री (वि./यां.) — 11 पद
  - सहायक यन्त्री (सिविल) — 241 पद
  - सहायक यन्त्री (वि./यां.) — 62 पद

1.3 परिक्षेत्र कार्यालय :—

विभाग की मैदानी स्थापना पांच परिक्षेत्रों में विभाजित है जिनमें चार सिविल कार्यों एवं एक वि./यां. कार्यों से संबंधित है। सिविल कार्य हेतु प्रत्येक परिक्षेत्र मुख्य अभियंता (सिविल) के अधीन है, परिक्षेत्र मुख्यालय क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर में स्थित हैं। सिविल कार्यों हेतु परिक्षेत्र भोपाल के अंतर्गत भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग, इंदौर परिक्षेत्र के अंतर्गत इंदौर एवं उज्जैन राजस्व संभाग, ग्वालियर

परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर, चंबल तथा सागर राजस्व संभाग एवं जबलपुर परिक्षेत्र के अतंर्गत जबलपुर, रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग हैं। विभाग में एक मुख्य अभियन्ता (वि./यां) हैं जिनका मुख्यालय भोपाल है एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण प्रदेश है। विभागीय ड्रिलिंग मशीनों द्वारा नलकूप खनन के कार्य इनके माध्यम से किये जाते हैं।

- **मंडल कार्यालय :–**

प्रदेश में संभाग स्तर पर 10 संभागों में क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, चम्बल एवं परियोजना मण्डल छिन्दवाड़ा सहित कुल 11 मंडल कार्यालय स्थापित हैं जिनके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कार्य किये जाते हैं तथा अधीनस्थ खंडों एवं उपखंडों पर उनके द्वारा प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 2 परियोजना मंडल कार्यालय क्रमशः भोपाल एवं इंदौर में स्थापित हैं। प्रत्येक मंडल कार्यालय अधीक्षण यंत्री के अधीन हैं।

- **खंड कार्यालय :–**

मध्यप्रदेश के सभी 51 जिलों में सिविल खंड एवं 7 सम्भागीय मुख्यालयों पर 7 वि./यां. खण्ड स्थापित हैं। नर्मदा जलप्रदाय परियोजना इन्दौर के संधारण हेतु मंडलेश्वर में एक वि./यां. खण्ड नगर निगम इंदौर के अधीन कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 7 परियोजना खण्ड, 6 संधारण खण्ड, 1 गुणवता नियंत्रण इकाई खण्ड भोपाल एवं 1 गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड सरदारपुर (धार) कार्यालय स्थापित हैं।

प्रदेश में कुल 204 उपखण्ड सिविल संकाय के एवं 44 जिलों में 46 वि./यां. उपखंड कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें जबलपुर एवं ग्वालियर जिले में एक–एक कर्मशाला उपखंड हैं। प्रत्येक उपखंड कार्यालय सहायक यंत्री के अधीन हैं। 6 जिलों क्रमशः दतिया, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, अलीराजपुर एवं सिंगरौली में वि./यां. उपखण्ड स्थापित नहीं हैं।

1.4 विभागीय उद्देश्य एवं कार्य :–

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. ग्रामीण बसाहटों में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल प्रदाय हेतु सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन।
2. ग्रामीण हैंडपंप योजनाओं का संधारण।
3. ग्रामों में राज्य शासन की नीति अनुसार नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन।
4. जल प्रदाय योजनाओं के स्त्रोतों के स्थायित्व हेतु भू–जल पुनर्भरण एवं संवर्धन योजनाओं तथा रैनवाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं आदि कार्यों का क्रियान्वयन।
5. पेयजल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता का अनुश्रवण व निगरानी।
6. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक स्रोतों से शुद्ध एवं सुरक्षित जल प्रदाय हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन।
7. नगरीय निकायों द्वारा चाहे जाने पर, नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदाय एवं मल जल निकासी योजनाओं के सर्वेक्षण, अन्वेषण, योजना प्रतिवेदन तैयार करने व निक्षेप कार्य के रूप में योजनाओं का क्रियान्वयन।

8. आदिवासी आश्रम–छात्रावासों, आँगनवाड़ियों तथा ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था।

9. परम्परागत जलस्त्रोतों का जीर्णोद्धार कर पेयजल हेतु उपयोगी बनाना।

10. सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण बसाहटों में सोलर पम्पों के माध्यम से दोहरी पेयजल प्रदाय व्यवस्था – जिला सिवनी

2. भाग – दो

2.1 बजट विहंगावलोकन :–

विगत तीन वर्षों की स्थिति निम्नानुसार है :–

- **राज्य आयोजना के अन्तर्गत** वर्ष 2011–12 के लिये विभाग की योजना सीमा रुपये 39394.74 लाख निर्धारित की गई। विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद के अन्तर्गत कुल रु. 39624.08 लाख का बजट स्वीकृत किया गया एवं इसके विरुद्ध कुल रुपये 37642.87 लाख व्यय किये गये।

  राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में भारत सरकार द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु रुपये 39273.50 लाख उपलब्ध कराए गए। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरुद्ध कुल रुपये 36465.04 लाख व्यय किये गये। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 2182.61 लाख प्राप्त हुई थी, इसके विरुद्ध कुल राशि रुपये 1806.17 लाख व्यय किये गये।

- **राज्य आयोजना के अन्तर्गत** वर्ष 2012–13 के लिये विभाग की योजना सीमा रुपये 42546.67 लाख निर्धारित की गई। विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद के अन्तर्गत रुपये 40825.57 लाख उपलब्ध कराए गए तथा इसके विरुद्ध कुल रुपये 38216.89 लाख व्यय किये गये।

  राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में भारत सरकार द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु रुपये 56416.33 लाख उपलब्ध कराये गये थे जिसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित है। भारत

सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरुद्ध कुल रुपये 41188.49 लाख व्यय किये गये। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 2486.04 लाख प्राप्त हुई थी (विगत वर्ष की शेष राशि सहित) इसके विरुद्ध कुल राशि रुपये 1467.06 लाख व्यय किये गये।

* राज्य आयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के लिये विभाग की योजना सीमा रुपये 62680.00 लाख निर्धारित की गई। विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद के अन्तर्गत रुपये 52838.71 लाख उपलब्ध कराए गए तथा इसके विरुद्ध कुल रुपये 46845.83 लाख व्यय किये गये।

  राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में भारत सरकार द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु रुपये 60567.26 लाख उपलब्ध कराये गये थे जिसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरुद्ध कुल रुपये 47629.27 लाख व्यय किये गये। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 3174.15 लाख प्राप्त हुई थी (विगत वर्ष की शेष राशि सहित) इसके विरुद्ध कुल राशि रुपये 1879.24 लाख व्यय किये गये।

2.2 अनुमोदित वार्षिक योजना वर्ष 2014–15 :–

राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2014–15 हेतु वार्षिक योजना सीमा रुपये 137789.03 लाख अनुमोदित की गई है। अनुमोदित योजना सीमा के अन्तर्गत क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है :–

(रुपये लाख में)

क्षेत्रवार विवरण	प्रावधानित राशि	
सामान्य आयोजना	69259.03	50.27%
आदिवासी उपयोजना	36175.00	26.25%
अनुसूचित जाति उपयोजना	32355.00	23.48%
कुल	**137789.03**	**100.00%**

विभाग के लिये निर्धारित परिव्यय सीमा में विभाग द्वारा ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के लिए निम्नानुसार राशियों का प्रावधान किया गया है :–

(रुपये लाख में)

कार्यक्रम	ग्रामीण	नगरीय	कुल
जलप्रदाय कार्यक्रम	136389.03	800.00	137189.03
राज्य क्षेत्र कार्य (प्रशासकीय एवं अन्य व्यय)	600.00	0.00	600.00
कुल	136989.03	800.00	137789.03

उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र की पेयजल योजनाओं हेतु वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार है :–

(रुपये लाख में)

उपयोजना	ग्रामीण	नगरीय	कुल
आदिवासी उपयोजना	36025.00	150.00	36175.00
अनुसूचित जाति उपयोजना	32205.00	150.00	32355.00

राज्य योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना 2014–15 के लिये प्रस्तावित कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार है :–

(रुपये लाख में)

क्र.	योजना / कार्यक्रम का नाम	भौतिक लक्ष्य	इकाई	कुल वित्तीय प्रावधान
1	आंशिक पूर्ण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	9500	बसाहट	15900.00
2	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	1400	शाला	1600.00
3	ग्रामीण ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था	4400	ऑगनवाड़ी	4530
4	ग्रामीण SC-ST आश्रम–छात्रावासों में सोलर पम्प के माध्यम से पेयजल व्यवस्था	700	आश्रम–छात्रावास	3130.00
5	सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल स्रोतों का स्थायित्व– भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण	2600	संरचना	4700.00
6	ग्रामीण नलजल / स्थलजल योजनाओं का क्रियान्वयन	1500	योजना	42640.00
7	हैंण्डपंपों का नियमित रख–रखाव	स्थापित समस्त हैंण्डपंप		7792.00
8	पुराने टूटे–फूटे हैंण्डपंप प्लेटफार्म का निर्माण	24000	प्लेटफार्म	2100.00
9	स्रोत सूखने से बन्द नलजल योजनाओं में पेयजल स्त्रोतों का निर्माण	समस्त बन्द योजनाएं		5482.00
10	पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	764	बसाहट	6000.00
11	पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों में 5 प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से पेयजल व्यवस्था	200	बसाहट	2000.00
12	राज्य क्षेत्र योजनायें (प्रशासनिक एवं अन्य व्यय)	–	–	600.00
13	राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम (शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त)	51	जिला	1528.00
14	केन्द्र क्षेत्रीय सहायक गतिविधियॉ कार्य क्रम (शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त)	51	जिला	1998.00
15	खदान क्षेत्र के विकास हेतु सोलर पम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था	आवश्यकतानुसार		800.00
16	बुन्देलखण्ड (द्वितीय चरण) की योजनाओं का क्रियान्वयन	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जिले		6980.00
17	IT/E Governance	आवश्यकतानुसार		0.01
18	Policy Reform, Enterprise Resource Planning & Vision 2018	आवश्यकतानुसार		0.01

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	भौतिक लक्ष्य	इकाई	कुल वित्तीय प्रावधान
19	**मध्यप्रदेश जलनिगम मर्यादित हेतु प्रावधान**			
19.1	राज्यांश की अंशपूँजी हेतु वित्तीय प्रावधान	आवश्यकतानुसार		1500.00
19.2	बाह्य पोषित समूह पेयजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश का वित्तीय प्रावधान	आवश्यकतानुसार		26709.00
19.3	समूह पेयजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधोसंरचना विकास हेतु राज्यांश का वित्तीय प्रावधान (नाबार्ड)	आवश्यकतानुसार		0.01
19.4	नर्मदा क्षिप्रा लिंक आधारित पेयजल योजना का क्रियान्वयन	331 ग्राम		1000.00
20.1	सामान्य नगरीय जलप्रदाय योजनायें	5	योजना	100.00
20.2	पेंचव्हेली समूह जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन	1	योजना	500.00
20.3	जल सहायता संगठन के प्रशासकीय भवन का निर्माण	–	योजना	200.00
	कुल योग – राज्य आयोजना			**137789.03**

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण बसाहटों में घरेलू कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय व्यवस्था

3. भाग – तीन

3.1 राज्य एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं :–

3.1.1 ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :–

भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के सिद्धान्तों एवं नीतियों के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि के समतुल्य राशि (50:50) राज्य शासन द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है।

दिनांक 1.4.09 तक ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडानुसार 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं में प्रावधान किया जाता था। भारत सरकार द्वारा जारी नई मार्गदर्शिका के अनुसार बसाहटों में पेयजल प्रदाय का स्तर 55 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन (हैंडपंप योजनाओं हेतु) एवं 70 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन (नलजल योजनाओं हेतु) निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को अधिकतम 100 मी. की सीमा में सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं भू–गर्भीय जल स्त्रोतों (मुख्यतः नलकूपों) पर आधारित हैं। लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग द्वारा इन योजनाओं के लिये पेयजल स्त्रोतों का निर्माण (नलकूपों का खनन) विभाग में उपलब्ध विभागीय ड्रिलिंग मशीनों से अथवा निविदा आमंत्रित कर ठेकेदारों की ड्रिलिंग मशीनों से किया जाता है। ऐसी बसाहटें जिनमें अधिक गहराई तक खनन किये जाने पर जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, में सैनिटरी डगवेल/शॉफ्टवेल का निर्माण किया जाता है।

3.1.2 बसाहटों में जलप्रदाय व्यवस्था के मानदण्ड :–

भारत सरकार की नई मार्गदर्शिका लागू होने के साथ ही बसाहटों के आच्छादन हेतु मानदण्डों में भी परिवर्तन हुआ है। अब ग्रामीण बसाहटों में पेयजल प्रदाय का स्तर हितग्राही समुदाय अथवा राज्य द्वारा स्वतः निर्धारित किया जाना है। बसाहटें अब दो ही श्रेणी क्रमशः आच्छादित एवं अनाच्छादित में वर्गीकृत हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये भारत शासन के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा निम्नानुसार मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं :–

(क) ऐसी बसाहटें जिनमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ख) प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से 100 मीटर की परिधि में सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से 30 मीटर ऊँचाई या निचाई पर पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(घ) ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है।

3.1.3 बसाहटों में कार्य की प्राथमिकता :—

- प्राथमिकताएं निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं :—

1. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था।
2. ऐसी बसाहटें जिनमें जनसंख्या के मान से न्यूनतम मात्रा में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था नही है, अनु. जाति/अनु.जनजाति बाहुल्य बसाहटों को प्राथमिकता।
3. ऐसी बसाहटें जिनमें 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्धता है, में योजनाएं क्रियान्वित कर जलप्रदाय स्तर को न्यूनतम 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के स्तर तक लाने हेतु कार्य।
4. शासकीय भवनयुक्त ग्रामीण शालाओं/आँगनवाड़ियों में पेयजल की व्यवस्था।
5. आदिम जाति आश्रम/छात्रावासों में पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण बसाहटों में घरेलू कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय व्यवस्था

3.1.4 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की स्थिति :—

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की नीतियों के अनुसार किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बसाहटों, शासकीय भवनयुक्त ग्रामीण शालाओं/आँगनवाड़ियों एवं गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। बसाहटों एवं ग्रामीण शालाओं/आँगनवाड़ियों में जल आपूर्ति की व्यवस्था, निर्धारित मानदण्डों के आधार पर की जा रही है।

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दिनांक 1.4.09 की स्थिति में बसाहटों के डाटा का रिएलाइमेंट कराया गया था। जिसके आधार पर प्रदेश की कुल 127197 बसाहटों में से 49345 बसाहटें

प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों एवं ग्रामीण शालाओं/आँगनवाड़ियों में जल आपूर्ति की व्यवस्था, जिला– भोपाल

पूर्णतः आच्छादित श्रेणी (55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से) में थीं। शेष 77852 बसाहटें ऐसी थीं जिनमें पेयजल प्रदाय 40 से 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से हो रहा था। विगत वर्षों से वर्ष 2013–14 तक किये गये कार्यों के उपरांत 31.3.14 की स्थिति में 98500 बसाहटें शत–प्रतिशत जनसंख्या आच्छादन की श्रेणी में हैं एवं 29059 बसाहटें आंशिक पूर्ण श्रेणी में हैं। बसाहटों का विवरण निम्नानुसार ग्राफ में दर्शाया गया है।

बसाहटों में पेयजल प्रदाय की स्थिति – 31.03.2014
कुल बसाहटें – 1,27,559
(55ली./व्यक्ति/दिन के आधार पर)

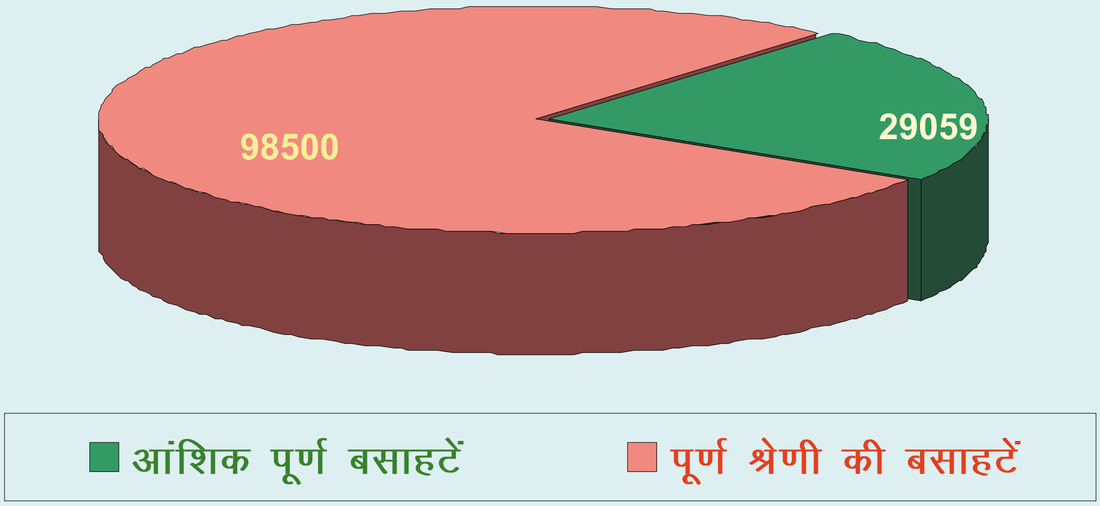

शासन की नवीन नीति अनुसार पेयजल हेतु हैण्डपंपों पर निर्भरता कम करते हुए अधिकाधिक जनसंख्या को घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जाना है। पंचायतों द्वारा संचालन–संधारण किये जाने की सहमति दिये जाने पर, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वर्ष 2011–12, एवं 2012–13 एवं 2013–14 में पूर्ण की गई बसाहटों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

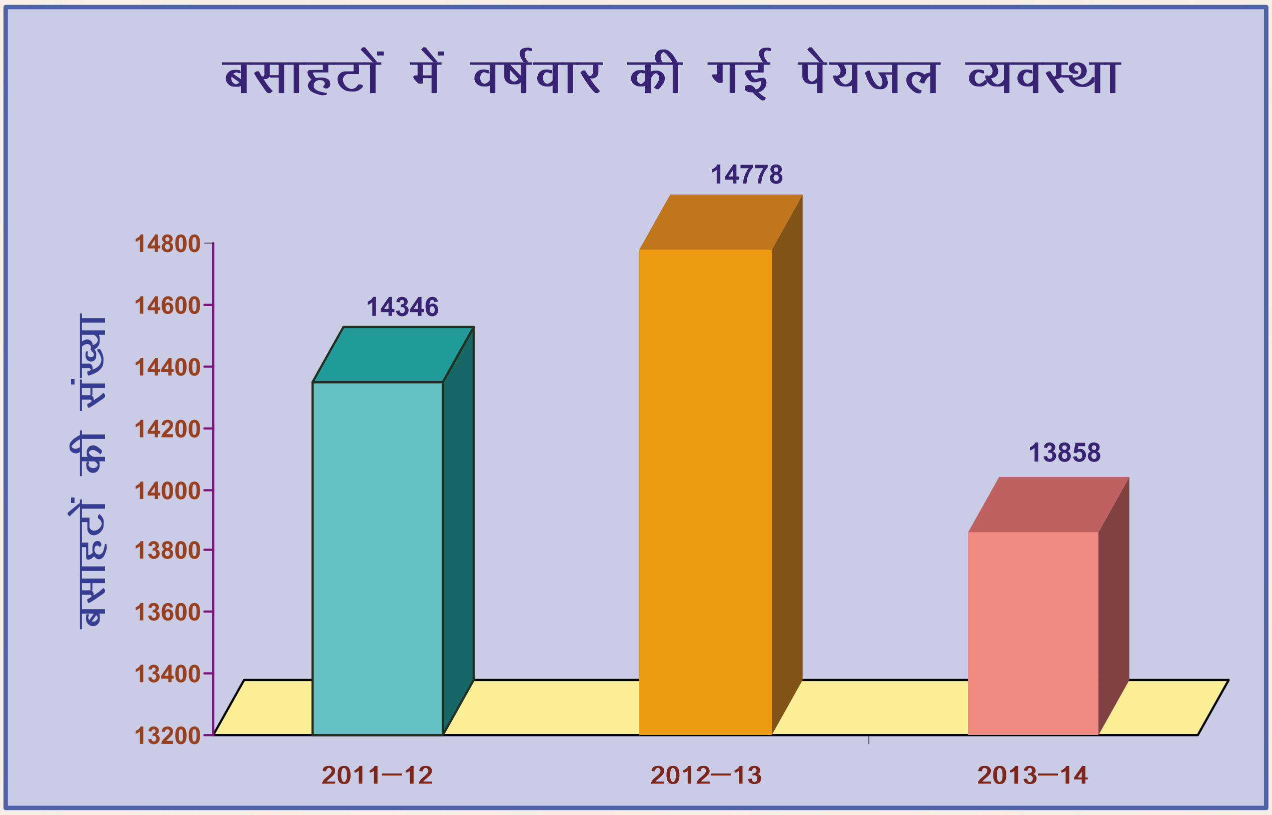

3.1.5 ग्रामीण शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों में जल प्रदाय :–

ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रदेश की सभी शासकीय भवन युक्त ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है, तथापि ऐसी शालाएं, जिनमें स्त्रोत असफल अथवा गुणवत्ता प्रभावित हो गए हैं, में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था करने का कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2013–14 में ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था के 5154 के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 6613 ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार वर्ष के दौरान कुल निर्धारित लक्ष्य 5794 के विरूद्ध 5397 शासकीय भवनयुक्त ऑगनवाड़ियों में विभाग द्वारा स्वच्छ पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

3.1.6 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में कार्य :–

प्रदेश के कुछ जिले पेयजल स्त्रोतों में फ्लोराईड की अधिकता से प्रभावित हैं एवं कुछ जिलों के पेयजल स्त्रोतों में लौह तत्व, नाइट्रेट एवं खारे पानी की अधिकता भी है। भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत इन पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्य किये जा रहे हैं।

प्रदेश की कुल गुणवत्ता प्रभावित चिन्हित 8724 बसाहटों में से 7583 बसाहटों में सुरक्षित वैकल्पिक स्त्रोतों पर आधारित योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल दिनांक 31.3.2014 तक उपलब्ध कराया जा चुका था। वर्ष 2013–14 में कुल 979 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है एवं शेष योजनाओं का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

विगत वर्षों में बसाहटों एवं ग्रामीण शालाओं में किए गये कार्यों की उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है :–

अ. बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य की प्रगति :–

उपलब्धि (बसाहटें)	**2011–12**	**2012–13**	**2013–14**
	14346	14778	13858

ब. ग्रामीण शालाओं में किये गए कार्य की प्रगति :–

उपलब्धि (शालाएं)	**2011–12**	**2012–13**	**2013–14**
	3196	5124	6181

• नल जल योजनाएं :–

वर्ष 2013–14 की वार्षिक योजना में 1800 अनुमोदित योजनाओं के विरूद्व कुल 1823 नलजल योजनाओं को पूर्ण किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम बड़ागॉव, जिला बड़वानी में उच्चस्तरीय पेयजल टंकी का निर्माण।

- ## हैंडपंप–प्लेटफार्म का पुनर्निर्माण :–

वर्ष 2013–14 में, प्रदेश में पुराने एवं क्षतिग्रस्त हैंडपंप प्लेटफार्म के स्थान पर 30000 नये प्लेटफार्म निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध कुल 24068 प्लेटफार्म निर्मित किए गए हैं।

- ## आश्रम/छात्रावासों में पेयजल व्यवस्था :–

राज्य शासन के आदिमजाति/अनुसूचितजाति कल्याण विभाग के अनुमोदन के अनुसार प्रदेश के सभी अनुसूचितजाति/ जनजाति के आश्रम/छात्रावासों में पेयजल प्रदाय व्यवस्था के कार्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में 439 आश्रम/छात्रावासों में पेयजल प्रदाय व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित था, इसके विरुद्ध कुल 524 आश्रम/छात्रावासों में पेयजल प्रदाय व्यवस्था के कार्य पूर्ण कर प्रदेश के सभी अनुसूचितजाति/जनजाति के आश्रम/छात्रावासों में पेयजल प्रदाय व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्ष 2014–15 में विभाग द्वारा 700 अनुसूचितजाति/जनजाति के आश्रम/छात्रावासों में सोलर पंप के माध्यम से पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के कार्य किये जावेंगे।

- ## माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणाओं का क्रियान्वयन :–

प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। प्रतिवेदित अवधि में कुल 123 घोषणाओं के विरूद्ध कुल 61 घोषणाओं को पूर्ण किया जा चुका है, 51 घोषणाओं के कार्य प्रगति पर हैं तथा मात्र 11 घोषणाओं की पूर्ति शेष है, जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम इटारसी, जिला सीहोर में निर्मित पम्प हाउस

मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन :–
उच्च स्तरीय पेयजल टंकी का निर्माण, ग्राम–टेमरिया

- ### ग्रामीण नलजल योजनाओं का संधारण (स्रोत सूखने से बन्द योजनाओं में स्रोत निर्माण) :–

ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन/संधारण का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का है। नलजल योजनाओं के स्रोत सूख जाने से बन्द पेयजल योजनाओं में विभाग द्वारा स्रोत निर्मित कर पुनः चालू किया जाता है। वर्ष 2013–14 में 1560 बन्द योजनाओं में नये स्रोत निर्मित कर योजनाएं पुनः चालू की गयीं।

3.2 आदिवासी उपयोजना :–

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की सभी बसाहटों में 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मानदण्डों के अनुरूप पेयजल व्यवस्था पूर्ण की जा चुकी है। विभाग द्वारा वर्तमान में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से

पेयजल व्यवस्था के कार्य किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की नवीन मार्गदर्शिका के अनुसार आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में प्राथमिकता के आधार पर पेयजल व्यवस्था के कार्य किये जा रहे हैं।

आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में सोलर पम्प के माध्यम से पेयजल व्यवस्था, ग्राम गाजीपुर, जिला मण्डला

दिनांक 1.4.13 की स्थिति में प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य 19449 बसाहटें आंशिक आच्छादित श्रेणी में थीं, इनमें से वर्ष 2013–14 के दौरान 4620 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं शेष कार्य निरंतरित है।

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विगत वर्षो में किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

• भौतिक उपलब्धि

क्र.	कार्यक्रम	2011–12	2012–13	2013–14
1.	ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	4884	5169	**4620**
2.	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	746	1382	**1706**

- **व्यय**

(रुपये लाख में)

क्र.	विवरण	2011—12	2012—13	2013—14
1	ग्रामीण क्षेत्र	16266.29	21263.40	**29102.28**

3.3 अनुसूचित जाति उपयोजना :—

अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र की सभी बसाहटों में 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मानदण्डों के अनुरूप पेयजल व्यवस्था पूर्ण की जा चुकी है। विभाग द्वारा वर्तमान में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था के कार्य किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की नवीन मार्गदर्शिका के अनुसार अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में प्राथमिकता के आधार पर पेयजल व्यवस्था के कार्य किये जा रहे हैं। दिनांक 1.4.13 की स्थिति में प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य 4173 बसाहटें आंशिक आच्छादित श्रेणी में थीं, इनमें से वर्ष 2013—14 की अवधि में 1785 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं शेष कार्य निरंतरित है।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विगत वर्षों में किये गये कार्य निम्नानुसार हैं :

- **भौतिक उपलब्धि**

क्र.	कार्यक्रम	2011—12	2012—13	2013—14
1.	ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	1385	3280	1785
2.	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	687	956	942

- **व्यय**

(रुपये लाख में)

क्र.	विवरण	2011—12	2012—13	2013—14
1	ग्रामीण क्षेत्र	13660.38	16205.66	19116.62
2	नगरीय क्षेत्र	124.31	375.00	200.99
	योग :	**13784.69**	**16580.66**	**19317.61**

3.4 ग्रामीण नल जल/स्थल जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन :–

ग्रामीण बसाहटों में पेयजल के लिए प्रदेश में सामान्यतः हैण्डपंप योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं किन्तु बड़े ग्रामों में अथवा ऐसे ग्रामों में जहां दूर से पानी लाया जाना आवश्यक हो, वहां नल जल प्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। सभी नल जल/स्थल जल प्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में, विशेषकर स्रोत सूख जाने की स्थिति में विभाग द्वारा नये स्रोत का निर्माण भी किया जाता है। जिन ग्रामों में नलकूपों में अधिक गहराई पर पानी उपलब्ध हो, हैण्डपम्प के स्थान पर पावर पंप स्थापित कर स्थल जल योजनाएं (स्पॉट सोर्स योजना) भी क्रियान्वित की जाती हैं।

राज्य शासन द्वारा नलजल योजनाओं की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं :–

1. नलजल योजना का प्रस्ताव ग्राम पंचायत/तदर्थ स्वस्थ ग्राम समिति/पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से ग्राम की सर्वसहमति के आधार पर लेना होगा।
2. नलजल योजना का संचालन एवं संधारण तदर्थ स्वस्थ ग्राम समिति/पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से किया जावेगा, इस आशय की लिखित सहमति आवश्यक होगी।
3. नलजल योजना के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।
4. नलजल योजना से घरों में निजी कनेक्शन लेने हेतु कम से कम 75 प्रतिशत परिवारों द्वारा लिखित सहमति देनी होगी।
5. सामान्य परिवारों के बाहुल्य वाले ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 3.00 प्रतिशत अंशदान तथा अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 1.00 प्रतिशत अंशदान जन सहयोग के रूप में एकत्र करना होगा।
6. अंशदान के रूप में एकत्रित राशि सावधि जमा के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विभाग द्वारा जमा कराई जावेगी।
7. जिन समितियों द्वारा नलजल योजना सफलतापूर्वक चलाई जावेगी उन योजनाओं में एकत्रित अंशदान की राशि में से 20.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से प्रोत्साहन राशि के रूप में आने वाले 5 वर्षों में उस समिति को उपलब्ध करा दी जावेगी।
8. पानी का वितरण ग्राम के सभी परिवारों में समान रूप से हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
9. समूह नलजल प्रदाय योजनाओं में अंशदान की राशि योजना लागत के प्रतिशत के रूप में न ली जाकर सभी परिवारों की वहन क्षमता के आधार पर हुए निर्धारण के अनुसार जमा करनी होगी।
10. विभिन्न उपभोक्ताओं हेतु देय जलकर की राशि का निर्धारण ग्राम की जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जावेगा। अत्यन्त कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को समिति द्वारा जलकर जमा करने से पूर्ण अथवा आंशिक छूट भी दी जा सकती है।

3.5 एकीकृत कार्य योजना के अन्तर्गत (आई.ए.पी.) जिलों में सौर ऊर्जा आधारित पम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था :–

एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के 10 जिले क्रमशः मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया सम्मिलित हैं। इन जिलों की 1199 बसाहटों में सौर ऊर्जा पर आधारित पम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष द्वारा योजना लागत की 40 प्रतिशत एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 30–30 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। योजना

के प्रथम चरण के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष द्वारा रूपये 1364.76 लाख की धनराशि 649 योजनाओं के लिये उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से वर्ष 2013–14 के दौरान रूपये 1163.42 लाख की लागत से 290 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। शेष योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। इन योजनाओं में 250 तक की आबादी वाले ग्रामों में हैण्डपंपों पर सोलर पंप स्थापना, उच्चस्तरीय टंकी तथा पाईप लाईन बिछाकर ग्रामीण जनों को निजी नल कनेक्शन से पेयजल प्रदाय सुनिश्चित किया जा रहा है।

आई.ए.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण आबादी एवं शालाओं में सोलर पम्प के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय की दोहरी व्यवस्था :– जिला सिवनी

आई.ए.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण आबादी एवं शालाओं में सोलर पम्प के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय की दोहरी व्यवस्था :– जिला मण्डला

3.6 प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में स्थापित हैण्डपंप एवं नल जल प्रदाय योजनाएं:–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 31.03.2014 की स्थिति में स्थापित हैंडपंपों व क्रियान्वित की गई नलजल योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :–

• स्थापित हैंडपंपों की स्थिति :–

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	**कुल स्थापित शासकीय हैंडपम्प**	**520853***
2.	चालू हैंडपम्प	489167
3.	कुल बन्द हैण्डपम्प	31686
3.1	जलस्तर कम होने से बन्द हैण्डपम्प	10965
3.2	असुधार योग्य (भरे–पटे आदि)	7862
3.3	गुणवत्ता एवं अन्य कारणों से बन्द किये गये हैण्डपम्प	784
3.4	साधारण खराबी से बन्द	12075

*उक्त संख्या में अन्य विभागों/स्थानीय विकास निधि (42141) से स्थापित हैण्डपंप भी सम्मिलित हैं।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हैण्डपंपों का संधारण लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। साधारण खराबी के कारण बन्द हैण्डपम्प निरंतर सुधार प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमित रूप से सुधारे जाते हैं, जिसके लिए सभी जिलों में हैण्डपंप मैकेनिक पदस्थ हैं। संधारण कार्यों के अंतर्गत ही सामान्य रख–रखाव के साथ साथ जल स्तर नीचे जाने पर हैण्डपंपों में राइजर पाइप में वृद्धि के कार्य, संभव होने पर भरे पटे नलकूपों को साफ कर उन्हें पुनः पेयजल हेतु उपयोगी बनाने के कार्य, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग व हैण्डपंपों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म निर्माण आदि के कार्य भी विभाग द्वारा कराये जाते हैं।

• पेयजल व्यवस्था की निगरानी :–

ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने हेतु स्थापित हैण्डपंपों का सतत् भौतिक निरीक्षण कराया जाता है। हैण्डपंप संधारण कार्य को लोक सेवा प्रदाय गारन्टी अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्रोतों के जल का परीक्षण कर उनके जल की गुणवत्ता का भी सतत् अनुश्रवण किया जाता है।

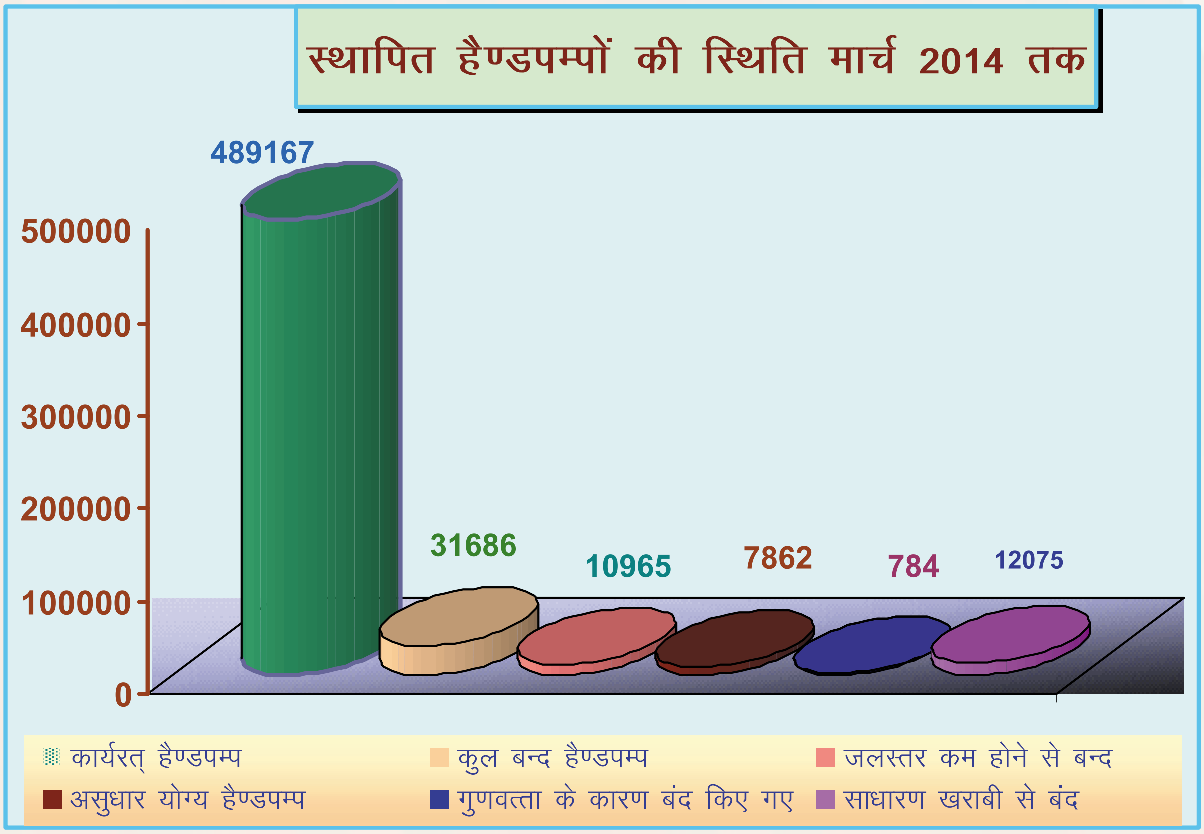

- ## स्थापित नलजल/स्थलजल प्रदाय योजनाओं की स्थिति :-

प्रदेश में 31.03.2014 की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में कुल 12621 ग्रामीण नलजल/स्थलजल प्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

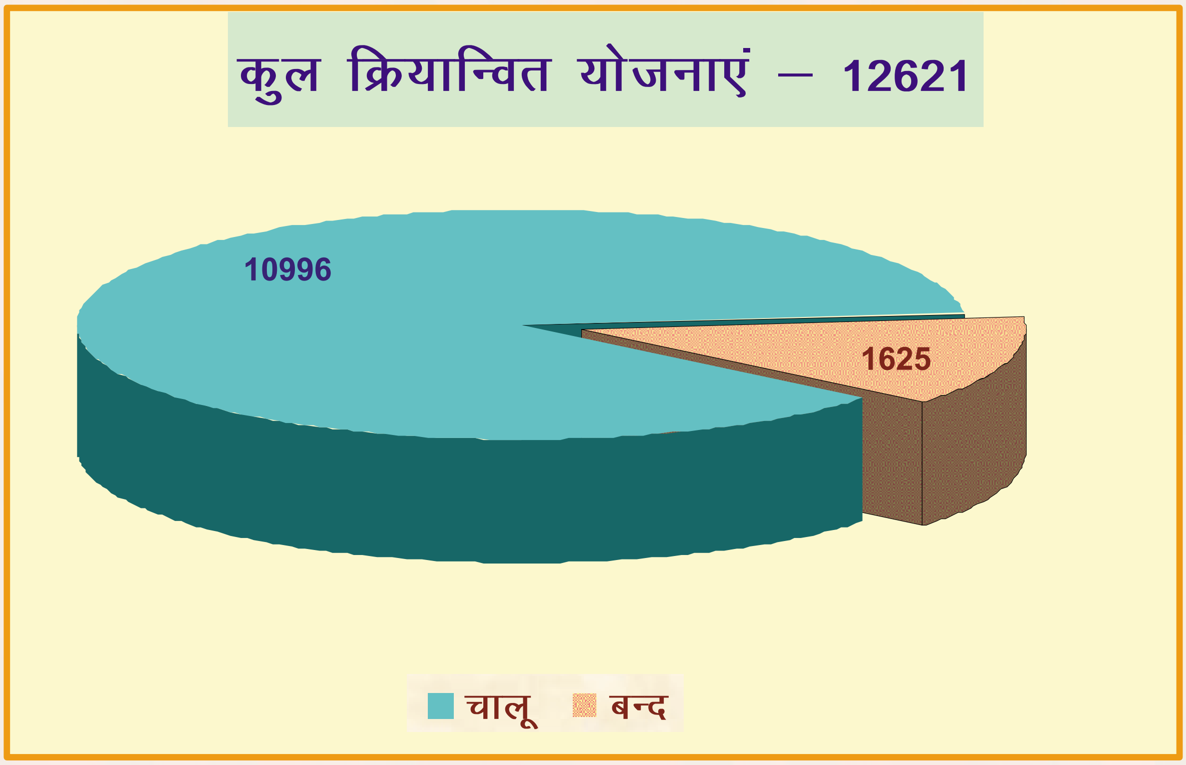

क्रियान्वित की गई कुल योजनाओं में चालू एवं बन्द योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

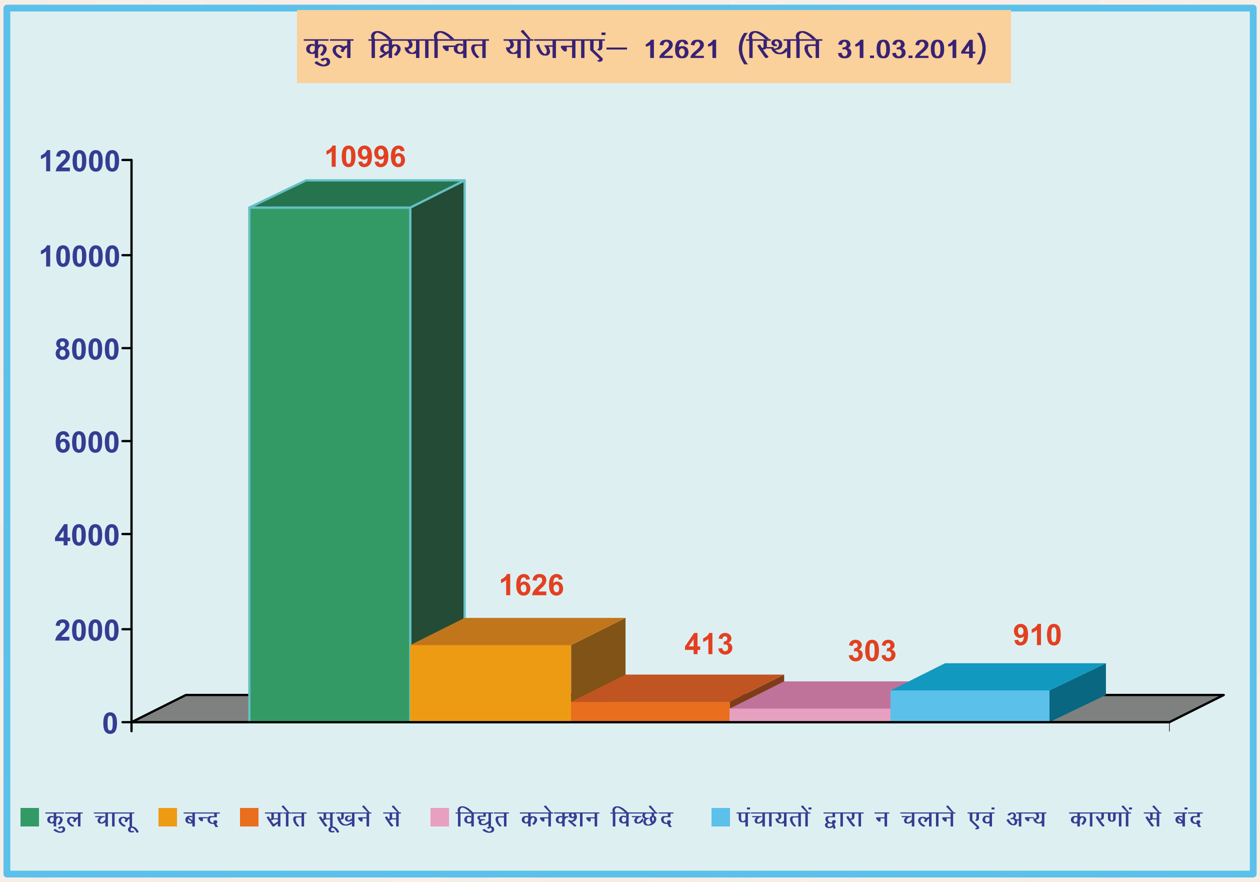

3.7 भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम :–

3.7.1 भूजल संरक्षण, संवर्धन व पुनर्भरण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य गिरते हुये भूजल स्तर एवं इसकी उपलब्धता की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा पेयजल योजनाओं के स्त्रोतों को स्थायित्व प्रदान करना है। भूजल संवर्धन व पुनर्भरण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन से निम्न लाभ प्राप्त होंगे :–

1 प्रदेश के विभिन्न भू–भागों तथा अतिदोहित, दोहित एवं अर्द्धदोहित विकास खंडों के गिरते हुये भूजल स्तर की गिरावट नियंत्रित होगी, जिसके फलस्वरूप भूजल स्तर एवं इसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

2 जलभृतों (aquifers) में जल की उपलब्धता बढ़ेगी।

3 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कुओं एवं नलकूपों के जल स्तर व आवक क्षमता में वृद्धि होगी।

4 ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की निस्तारी सुविधाओं में वृद्धि होगी।

भूजल संरक्षण, संवर्धन व पुनर्भरण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टॉप डैम क्र. 1 का निर्माण, ग्राम पटेरा, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह

3.7.2 वर्षा एवं भूजल के उपयोग के प्रमुख क्षेत्र :—

प्रदेश में अधोसंरचना एवं भवन निर्माण के क्षेत्र में किये जा रहे सतत् विकास, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ते हुये शहरीकरण, औद्योगीकरण की तेज गति तथा खाद्यान्न उत्पादन हेतु कृषि क्षेत्र में किये जा रहे उपयोग के कारण उपलब्ध जल भंडारों का अधिक दोहन किया गया है तथा सतत् रूप से किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में असामान्य एवं असंतुलित वर्षा, भूजल पर बढ़ती हुई निर्भरता तथा इसके अत्यधिक दोहन के कारण भू–जल स्तर में निरंतर गिरावट हुई है जिससे गुणवत्ता प्रभावित हुई है। विगत एक दशक में हुई असामान्य एवं कम वर्षा के कारण विशेष रूप से प्रदेश के मालवा–निमाड़ क्षेत्र तथा ग्वालियर–चंबल, रीवा तथा सागर संभागों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के भूजल स्तर में सतत गिरावट परिलक्षित हुई है। भूजल स्तर में गिरावट के कारण जहां पूर्व में कुंओं से निरंतर पेयजल उपलब्ध हो जाता था, वहीं आज गहरे नलकूपों का खनन आवश्यक हो गया है।

3.7.3 जिस गति से भूजल का दोहन हो रहा है उस अनुपात में भूजल भंडारण में वृद्धि नहीं हो सकी है। केन्द्रीय भू–जल मंडल द्वारा प्रदेश में वर्ष 2008–09 में किये गये भूजल भंडारों के आंकलन से गिरते हुये भूजल स्तर का तथ्य प्रदेश के 28 जिलों में प्रकाश में आया है। भूजल स्तर में गिरावट का परिणाम यह हुआ है कि प्रदेश के 28 जिलों के 89 विकास खंड अतिदोहित (Overexploited), दोहित (Critical) एवं अर्द्धदोहित (Semicritical) श्रेणी में आ गये हैं। इन 89 विकास खंडों में से 24 विकास खंड अतिदोहित, 4 विकास खंड

भूजल संरक्षण, संवर्धन व पुनर्भरण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टॉप डैम क्र. 2 का निर्माण, ग्राम पटेरा, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह

दोहित एवं 61 विकास खंड अर्द्धदोहित श्रेणी के हैं। इन विकास खंडों में भूजल की कमी को देखते हुये इनका संरक्षण एवं संवर्धन करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। विभाग द्वारा इन विकास खंडों में भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण का कार्य किया जा रहा है।

3.7.4 भारत सरकार के केन्द्रीय भूजल मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा प्रदेश के 28 जिलों के अतिदोहित (Overexploited), दोहित (Critical) एवं अर्द्धदोहित (Semicritical) श्रेणी में वर्गीकृत किये गये 89 विकास खंडों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) अतिदोहित श्रेणी के विकास खंड –

ऐसे विकास खंड जहां भूजल का दोहन 100 प्रतिशत से अधिक हुआ है।

जिला	क्रमांक	अतिदोहित विकास खंड	भूजल दोहन का प्रतिशत
बड़वानी	1	पानसेमल	112.2
धार	2	बदनावर	110.5
	3	धार	121.3
	4	धरमपुरी	105.0
	5	नालछा	110.6

जिला	क्रमांक	अतिदोहित विकास खंड	भूजल दोहन का प्रतिशत
इंदौर	6	इंदौर	147.6
	7	सांवेर	141.2
	8	देपालपुर	132.3
मंदसौर	9	मंदसौर	116.9
	10	सीतामऊ	101.6
रतलाम	11	जावरा	167.0
	12	पिपलोदा	171.3
	13	रतलाम	103.7
	14	आलोट	116.0
शाजापुर	15	मोमन बड़ोदिया	138.1
	16	नलखेड़ा	115.2
	17	शुजालपुर	102.2
	18	सुसनेर	104.7
उज्जैन	19	उज्जैन	130.3
	20	बड़नगर	120.2
	21	घटिया	106.3
देवास	22	देवास	113.1
	23	सोनकच्छ	101.0
सतना	24	रामपुर बघेलान	101.8

(ब) दोहित श्रेणी के विकास खंड

जिला	क्रमांक	दोहित श्रेणी विकास खंड	भू–जल दोहन का प्रतिशत
सतना	1	अमरपाटन	98.5
	2	सोहावल	95.7
नरसिंहपुर	3	नरसिंहपुर	93.9
शाजापुर	4	आगर	90.4

(स) अर्द्धदोहित श्रेणी के विकास खंड

जिला	क्रमांक	अर्द्धदोहित श्रेणी विकास खंड	भू–जल दोहन का प्रतिशत
बड़वानी	1	राजपुर	84.2
	2.	ठीकरी	74.3
भोपाल	3.	फंदा	93.3
बुरहानपुर	4.	बुरहानपुर	84.7
छिन्दवाड़ा	5.	छिंदवाड़ा	93.2

जिला	क्रमांक	अर्द्धदोहित श्रेणी विकास खंड	भू–जल दोहन का प्रतिशत
छतरपुर	6.	छतरपुर	93.0
	7.	राजनगर	85.2
	8.	नौगांव	78.7
	9.	बक्सवाहा	75.5
	10.	बड़ा मलहरा	74.8
धार	11.	मनावर	99.6
	12.	तिरला	90.2
खरगौन	13.	खरगौन	92.0
	14.	महेश्वर	77.7
	15.	बड़वाहा	84.0
खंडवा	16.	छेगॉव माखन	91.3
नीमच	17.	जावद	99.4
	18.	नीमच	98.4
रतलाम	19.	सैलाना	71.7
सतना	20.	नागौद	85.8
	21.	मैहर	78.7
रीवा	22.	गंगेव	82.1
सीहोर	23.	सीहोर	95.3
	24.	आष्टा	89.0
शाजापुर	25.	कालापीपल	92.8
	26.	शाजापुर	82.2
	27.	बरोड़	71.9
उज्जैन	28.	महिदपुर	89.9
	29.	खाचरौद	75.4
देवास	30.	खातेगांव	78.9
इन्दौर	31.	महूँ	76.0
मन्दसौर	32.	मल्हारगढ़	98.3
	33.	भानपुरा	84.9
नरसिंहपुर	34.	गोटेगांव	89.3
	35.	करेली	76.2
	36.	चॉवरपाठा	74.0
राजगढ़	37.	नरसिंहगढ़	97.6
	38.	खिलचीपुर	89.2
	39.	सारंगपुर	87.3
	40.	ब्यावरा	77.1
ग्वालियर	41.	मोरार	71.0
शिवपुरी	42.	खनियाढाना	85.0
	43.	करेरा	83.2
	44.	नरवर	79.1
	45.	बदरवास	77.2
	46	पिछौर	75.9

जिला	क्रमांक	अर्द्धदोहित श्रेणी विकास खंड	भू–जल दोहन का प्रतिशत
दतिया	47.	दतिया	86.4
मुरैना	48.	मुरैना	74.1
	49.	कैलारस	73.0
	50.	सबलगढ़	71.4
पन्ना	51.	अजयगढ़	80.0
टीकमगढ़	52.	बल्देवगढ़	88.5
	53.	निवाड़ी	84.6
	54.	टीकमगढ़	82.9
	55.	पलेरा	80.6
	56.	जतारा	79.1
सागर	57.	बंडा	74.3
	58.	सागर	73.9
	59.	रेहली	71.0
दमोह	60.	पथरिया	82.1
	61.	हटा	77.7

3.7.5 भू जल संवर्धन कार्यों की प्रगति :–

लोक स्वास्थ्य यॉँत्रिकी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 3461 भू–जल संवर्धन एवं पुनर्भरण संरचनाएं (चेकडैम, स्टॉप डैम, रिचार्जसॉफ्ट, परकोलेशन टैंक, छतीय वर्षा जल संरचनाएं एवं परम्परागत स्त्रोतों के जीर्णोद्धार आदि) निर्मित की गई हैं, कार्यक्रम निरंतरित है।

भूजल संरक्षण, संवर्धन व पुनर्भरण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित सालिडवियर, जिला–झाबुआ

3.7.6 वर्ष 2013–14 में भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण हेतु शासन द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा की सहमति से तैयार की गई भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण योजनाओं को स्वीकृत करने के लिये प्राथमिकता का निर्धारण जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जिसके अध्यक्ष जिले के कलेक्टर हैं, के द्वारा किया जाता है और स्वीकृति पश्चात् योजनाओं का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है।

3.7.7 अतिदोहित विकास खंडों में राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत शासन की योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न कृषि–जलवायु एवं सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर पश्चिमी मध्यप्रदेश में स्थित अतिदोहित विकास खंड पिपलोदा जिला रतलाम तथा पूर्वी मध्यप्रदेश में स्थित अतिदोहित विकासखंड रामपुर बघेलान जिला सतना में जल सुरक्षा एवं भूजल संवर्धन कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने का कार्य प्रगतिरत है। इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामवासियों की सहभागिता से स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल भूजल संवर्धन संरचनाएं प्रस्तावित कर विभिन्न विभागों के समन्वय से क्रियान्वित की जा रही हैं।

3.7.8 अतिदोहित विकासखंडों में सस्टेनेबिलिटी योजना प्रारंभ करने की भारत शासन, जल संसाधन मंत्रालय, की योजना के अंतर्गत विकासखंड उज्जैन जिला उज्जैन, में नरवर माइक्रोवाटर शेड तथा विकासखंड धार जिला धार में जैतपुरा माइक्रोवाटर शेड में कार्य प्रगतिरत है। उक्त कार्य केन्द्रीय भूजल बोर्ड के तकनीकी सहयोग से किये जा रहे हैं।

3.7.9 प्रदेश में गिरते हुये भूजल स्तर को रोकने एवं भूजल स्त्रोतों पर बढ़ते हुए दवाब को कम करने के लिए निम्नांकित एकीकृत कदम उठाये जाने की आवश्यकता है :–

1 सतही जल के भंडारण, संरक्षण एवं भूजल के संवर्धन एवं पुनर्भरण तथा प्रबंधन हेतु एकीकृत ठोस कार्यवाही।

2 सतही जल तथा भूजल के भंडारण, संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन एवं मिले जुले उपयोग हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त एकीकृत योजना बनाये जाने की आवश्यकता।

3 सतही एवं भू–जल स्रोतों के उचित उपयोग हेतु जल की उपयोगिता का प्राथमिकताक्रम निर्धारित करने हेतु जलनीति तैयार की जाना आवश्यक है।

3.7.10 छतीय वर्षाजल पुनर्भरण तकनीक :–

भूजल स्त्रोतों पर पेयजल के लिए वर्तमान में हमारी निर्भरता 99 प्रतिशत से अधिक है अतः भूगर्भीय जल स्त्रोतों पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिये उपलब्ध वर्षाजल के उपयुक्त भंडारण, कुशल प्रबंधन तथा संरक्षण की प्रभावी तकनीक का विकास कर उसका उपयोग किया जाना न केवल वर्तमान समय की मांग है अपितु अक्षय विकास (Sustainable Development) की आवश्यकता भी है। वर्षाजल के दोहन हेतु छतीय वर्षाजल को एकत्रित कर छोटे फिल्टर के माध्यम से टंकी में संग्रहित किया जाता है। यह टंकी सामान्यतः फेरो कांक्रीट की या कुछ स्थानों पर आर.सी.सी. की निर्मित की जा रही हैं। इस संग्रहित वर्षाजल का उपयोग, सामान्य रूप से पानी को कीटाणु रहित (डिसइन्फैक्शन) कर, पेयजल हेतु किया जा सकता है।

3.8 गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्त्रोतों वाली बसाहटों की योजनाओं का विवरणः–

3.8.1 उपमिशन कार्यक्रम :–

भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत उपमिशन कार्यक्रम में फ्लोराइड, खारापानी व

लौह तत्व आदि जल गुणवत्ता समस्या से प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय के कार्य किये जा रहे हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की नवीन मार्गदर्शिका के दिशा निर्देशों के अनुसार 1.4.09 से नई योजनाओं हेतु योजना लागत की 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।

प्रदेश के 27 जिलों के कुछ ग्रामों में फ्लोराइड, खारापानी, नाइट्रेट व लौह तत्व निर्धारित मानक से अधिक पाये गये हैं इन प्रदूषकों से प्रभावित ग्रामों में आवश्यकतानुसार शुद्ध पेयजल प्रदाय हेतु योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

3.8.2 फ्लोरोसिस नियंत्रण :–

पेयजल में 1.5 मि.ग्रा./लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फ्लोराइड प्रदूषित पेयजल के निरंतर सेवन से फ्लोरोसिस बीमारी हो सकती है, जिसका इलाज संभव नहीं होता है। इससे प्रारंभिक अवस्था में बचाव ही किया जा सकता है। अब तक प्रदेश की कुल 1.27 लाख बसाहटों में से प्रदेश के 27 जिलों की 6746 बसाहटों के 11460 स्त्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानदण्ड से अधिक पाई गई है। इस तरह प्रभावित बसाहटों व स्त्रोतों के प्रतिशत क्रमशः मात्र 5.31 एवं 2.2 प्रतिशत हैं। फ्लोराइड प्रभावित ऐसी 5806 बसाहटों में पेयजल के सुरक्षित स्रोत भी उपलब्ध करा दिये गये हैं, शेष 940 बसाहटों में आवश्यकतानुसार प्रदूषित स्त्रोतों के स्थान पर सुरक्षित पेयजल प्रदाय हेतु वैकल्पिक योजनाओं के कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डला जिले की समूह जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत निर्मित इन्टेकवेल

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा जिले के परासिया विकासखण्ड के ग्राम कुंडाली खुर्द में स्थापित फ्लोराईड रिमूवल संयंत्र

3.8.3 खारेपन के नियंत्रण की योजनाएं :–

पेयजल में कुल घुलित लवणों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर है। यह सीमा खारेपन के स्वाद के कारण पानी अस्वीकार्य हो जाने के आधार पर निर्धारित की गयी है।

प्रदेश के 15 जिलों– भिण्ड, मुरैना, मन्दसौर, नीमच, उज्जैन, रायसेन, रतलाम, बालाघाट, सीहोर, राजगढ़, देवास, धार, श्योपुर, दतिया एवं छतरपुर के 799 ग्रामों के 1889 भू–जल स्त्रोतोंमें खारेपन की समस्या पायी गयी है। इन बसाहटों में से 746 ग्रामों/बसाहटों में पेयजल के वैकल्पिक सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराये गये हैं। खारे पानी से प्रभावित शेष 53 ग्रामों/बसाहटों में भी आवश्यकतानुसार योजनाएं बनाई जाकर क्रियान्वित की जा रही हैं।

3.8.4 लौह तत्व की अधिकता का निराकरण :–

पेयजल में लौहतत्व की अधिकता होने से पानी लाल–भूरा हो जाता है एवं रंग के कारण अस्वीकार्य हो जाता है। प्रदेश के 12 जिलों– सीहोर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, नीमच, छतरपुर, दतिया, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, उमरिया, सिवनी एवं श्योपुर की 596 बसाहटों के 884 स्रोत लौह तत्व की अधिकता से प्रभावित पाए गए हैं। पेयजल में लौहतत्व की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 0.3 मिली ग्राम प्रतिलीटर है। इन अधिकांश बसाहटों में प्रायः वैकल्पिक जल प्रदाय के सुरक्षित स्रोत उपलब्ध हैं एवं जहॉं सुरक्षित जलप्रदाय की मात्रा मानदंडों से कम है, वहां वैकल्पिक पेयजल स्त्रोतों पर आधारित योजनाएं बनाई जा रही हैं।

3.8.5 नाइट्रेट की अधिकता का निराकरण :–

पेयजल में नाइट्रेट की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा 45 मिलीग्राम प्रतिलीटर है। यह प्रायः चट्टानों, खाद एवं प्रदूषण के कारण पेयजल स्त्रोतों में प्रवेश करता है। इसकी अधिकता से बच्चों में नीलेपन का रोग उत्पन्न हो सकता है।

यह अधिकता प्रदेश के 11 जिलों की 302 बसाहटों के 446 स्त्रोतों में पायी गयी है किन्तु इन प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल के वैकल्पिक स्रोत भी उपलब्ध हैं जिनसे सुरक्षित पेयजल प्राप्त किया जा रहा है।

रासायनिक अशुद्धि का प्रकार	प्रदेश की कुल संख्या में से प्रभावित का प्रतिशत	
	ग्राम / बसाहट	स्रोत
फ्लोराइड आधिक्य	1.76%	2.31%
खारापानी आधिक्य	0.34%	0.21%
लौहतत्व आधिक्य	0.38%	0.17%
नाइट्रेट आधिक्य	0.19%	0.13%

3.9 जल–परीक्षण प्रयोगशालाओं का विवरण :–

ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा प्रदाय किये जा रहे जल प्रदाय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल–परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। प्रदेश में 1 राज्यस्तरीय, 1 चलित एवं 50 जिला स्तरीय एवं 105 उपखण्ड स्तरीय जल–परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जिनमें पेयजल स्त्रोतों के नियमित परीक्षण किये जाते हैं। उक्त प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2013–14 में 338623 पेयजल नमूनों का परीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त 204428 जल नमूनों का परीक्षण फील्ड टेस्ट–किट के माध्यम से किया गया है।

3.10 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम (NRDWQMSP) :-

पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सुरक्षित जल आपूर्ति की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में जल की गुणवत्ता के अनुश्रवण तथा निगरानी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें मूलतः ग्रामीण उपभोक्ता समुदाय को प्रशिक्षित एवं जागृत कर उनके माध्यम से पेयजल की गुणवत्ता का, जल परीक्षण फील्ड टेस्ट–किट्स द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में पेयजल परीक्षण कार्य

वर्ष 2013–14 में ग्राम पंचायतों के मैदानी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ग्राम पंचायतों को जल–परीक्षण किट एवं जीवाणु परीक्षण की शीशियॉ (वायल) उपलब्ध कराई गई हैं। इन किट्स से 204428 पानी के नमूनों की जॉच प्रशिक्षित मैदानी कार्यकर्ताओं/विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई। पंचायत स्तर पर किये गये इन परीक्षणों की जिले व राज्य स्तर पर क्रास चेकिंग भी की जाती है। 338053 नमूनों की विभिन्न प्रयोगशालाओं में तथा लगभग 570 नमूनों की राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में क्रास चेकिंग की गयी है, कार्यक्रम का क्रियान्वयन निरंतरित है।

3.11 ग्रीष्मकाल में पेयजल हेतु विशेष व्यवस्था :–

मध्यप्रदेश का अधिकांश भू–भाग कड़ी चट्टानों, बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट का क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र अधिक होने से वर्षा का पानी बहकर नदी, नालों के माध्यम से प्रवाहित हो जाता है, जिसके कारण भूजल संवर्धन (रिचार्जिंग) कम हो पाता है। साथ ही कृषि एवं औद्योगिक उपयोग हेतु अधिक भूजल दोहन के फलस्वरूप भू–जल स्तर में भी क्रमशः गिरावट परिलक्षित हुई है एवं अधिक गहराई के नलकूप खनन के पश्चात् भी पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ग्रीष्मकाल में सतही स्त्रोतों में जल की उपलब्धता अत्यल्प होने के कारण लगभग सम्पूर्ण जलापूर्ति भू–जल स्त्रोतों पर निर्भर होती है, जिसके कारण भू–जल स्तर में और अधिक गिरावट इस काल में परिलक्षित होती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें भू–जल स्त्रोतों पर ही आधारित हैं।

अल्पवर्षा की स्थिति में विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निम्न कार्य किये जाते हैं :–

(1) भू–जल स्तर नीचे गिरने से प्रभावित हैण्डपंपों में जहाँ पेयजल प्राप्त नहीं हो पाता है, उन हैण्डपंपों में राईजर पाईप का विस्तार करके उन्हें उपयोगी बनाया जाता है। जहॉ जलस्तर नीचे जाने के कारण हैंडपंपों से पानी प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता वहॅा सिंगलफेज विद्युत पंप स्थापित किये जाते हैं।

(2) ऐसे नलकूप जो भर–पट जाने के कारण बंद हो जाते हैं उनकी सफाई कर उन्हें भी उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है।

(3) ऐसे नलकूप जिनका भू–जल स्तर नीचे जाने के कारण, जल आवक क्षमता कम हो जाती है उन्हें उपयोगी बनाने हेतु उनमें हाईड्रोफ्रैक्चरिंग भी की जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत नलकूप में मैकेनिकल पंप द्वारा उच्च दबाव से नलकूप के अंदर पानी पंप किया जाता है। पानी के दबाव से भू–गर्भ में स्थित चट्टानों में जो छोटी दरारें होती हैं, उनमें फैलाव होने से या चट्टानों में दरारें निर्मित होने से नलकूप में पानी की आवक क्षमता बढ़ने की संभावना होती है।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान नल/स्थल जल प्रदाय योजनायें जो कि स्त्रोत सूखने अथवा जल की आवक क्षमता कम होने से बंद हो जाती हैं उनमें नये स्त्रोत निर्मित कर उन्हें पुनः उपयोगी बनाया जाता है।

(5) नये स्त्रोतों का निर्माण एवं उन पर हैंडपंप स्थापना।

वर्ष 2013 में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सामान्य अथवा सामान्य से अधिक वर्षा होने के कारण ग्रीष्मकाल में किसी भी प्रकार का पेयजल संकट उत्पन्न नहीं हुआ, जिसके कारण विभाग की सामान्य गतिविधियों द्वारा ही पेयजल व्यवस्था की जा सकी।

3.12 जनसंकल्प 2013 के अंतर्गत विभाग से संबंधित बिन्दुओं के क्रियान्वयन की स्थितिः :–

बिन्दु क्र.	विषय	कार्यवाही
1	100 तक की आबादी वाले मजरे/टोलों में अनिवार्य रूप से एक पेयजल स्रोत।	677 बसाहटें चिन्हित (इन बसाहटों में पूर्व में न्यूनतम एक स्रोत उपलब्ध था)
2	पंचायतों को पेयजल योजना, संधारण, रख–रखाव एवं ग्रीष्मकाल का बिजली बिल का भुगतान शासन स्तर पर।	शासन स्तर पर विचाराधीन
3	निर्मल ग्रामों में निजी नल कनेक्शन का अभियान।	31 मार्च,14 तक 929322 निजी नल कनेक्शन निर्मल ग्रामों में दिये गये। कार्य निरंतरित है।
4	हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बड़ी एवं छोटी सभी प्रकार की पेयजल योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तथा नगरीय क्षेत्रों में कम से 135 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पेयजल।	ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल प्रदाय योजनाएं 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से रूपांकित की जा रही है।
5	नलजल प्रदाय योजना का व्यापक अभियान।	वर्ष 2013–14 में 1823 नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया।
6	प्रदेश की 127000 बसाहटों में से शेष 40000 ग्रामीण बसाहटों में पेयजल योजनाओं के माध्यम से 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल।	प्रदेश की 127169 बसाहटों में से 83390 बसाहटों में 1.4.13 की स्थिति में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था थी। वर्ष 2013–14 में 13858 बसाहटों में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था की गई।
7	गुणवत्ता प्रभावित शेष 2100 बसाहटों में शुद्ध पेयजल।	वर्ष 2013–14 के दौरान 1002 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था की गई।
8	सतही स्रोत आधारित रूपये 5 हजार करोड़ की समूह जलप्रदाय योजनाएं।	– 5 समूह योजनाएं कुल लागत–रु. 616.57 करोड़ के कार्य प्रारंभ। – 22 समूह योजनाएं कुल लागत–रु. 825.83 करोड़ के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही गतिशील।
9	ग्रामीण पेयजल योजनाओं का रख–रखाव तथा बिजली बिल ग्रीष्म ऋतु में राज्य सरकार द्वारा।	ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने हेतु प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की नलजल योजनाओं के लम्बित विद्युत देयकों का शासन द्वारा लगभग रु. 35.00 करोड़ का भुगतान विद्युत वितरण कंपनियों को माह मार्च 2014 में किया गया।

3.13 100 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत विभाग से संबंधित बिन्दुओं के क्रियान्वयन की स्थिति :–

क्र.	100 दिवस की कार्य योजना के बिन्दु	लक्ष्य	उपलब्धियॉ– 30 अप्रैल 2014 की स्थिति में	टीप
1	आंशिक पूर्ण बसाहटों में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल।	3000 बसाहटें	3710	–
2	मुख्यमंत्री पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन	700	729	–
3	1000 से अधिक आबादी वाली बसाहटों में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन	300	391	–
4	बंद नलजल योजनाओं को चालू करना।	500	830	–
5	नलजल प्रदाय योजनाओं में निजी नल कनेक्शन	10000	74230	–
6	ग्रामीण आबादी का नलजल प्रदाय योजनाओं से आच्छादन	800000	970338	–
7	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल।	800	803	–
8	भू–जल संवर्धन योजनाओं का क्रियान्वयन (संरचना निर्माण)	300	1257	–
9	पेयजल स्त्रोतों का जल परीक्षण	90000	119927	–
10	आई.ए.पी. (नक्सल प्रभावित) जिलों में सम्मिलित बसाहटों में सौर ऊर्जा पर आधारित पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन	400	290	आचार संहिता के कारण कार्य प्रभावित हुआ। वर्तमान स्थिति अनुसार 370 कार्य पूर्ण।
11	पंचायती राज सदस्यों का प्रशिक्षण	20000	32868	–
12	पेयजल स्त्रोतों की जी.आई.एस. मैपिंग एवं ऑन लाईन मॉनिटरिंग	75000	154956	–
13	हैण्डपंपों के सुधार हेतु एस.एम.एस. आधारित शिकायत निवारण व्यवस्था को लागू करना	4 जिलों में पायलट आधार पर	व्यवस्था हेतु साफ्टवेयर तैयार। परीक्षण पूर्ण	15 जून से प्रारम्भ किया जावेगा।

क्र.	100 दिवस की कार्य योजना के बिन्दु	लक्ष्य	उपलब्धियॉं–30 अप्रैल 2014 की स्थिति में	टीप
14	ई–माप प्रक्रिया को पायलट आधार पर लागू करना	बैतूल जिले में पायलट आधार पर	साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।	म.प्र. इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन के माध्यम से।
15	सतही स्रोत आधारित प्रथम चरण की समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन			
	• कार्यादेश जारी	3	5	• 409 ग्राम, • जनसंख्या 4.96 लाख • लागत रू. 616.57 करोड़
	• मैदानी स्तर पर कार्य प्रारंभ	3	5	
	• निविदा आमंत्रण	22	22	• 574 ग्राम, • जनसंख्या 7.80 लाख, • लागत 825.83 करोड़
	• निविदा स्वीकृति की कार्यवाही	22	7	दरें अधिक आने के कारण 15 योजनाओं की निविदा पुनः आमंत्रित

3.14 विभागीय नलकूप खनन मशीनों का विवरण :–

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूपों का खनन, विभागीय रूप से, विभागीय रिगों द्वारा सम्पादित किया जाता है। बड़े ग्रामों की नल जल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी नलकूप खनन के कार्य विभागीय रिगों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। वर्ष 2011–12 में कुल 10347 नलकूपों का खनन कार्य किया गया था। वर्ष 2012–13 में कुल 12841 नलकूपों का खनन कार्य किया गया था जो कि अब तक की सर्वोच्च उपलब्धि है। वर्ष 2013–14 में 11206 नलकूपों के खनन का कार्य किया गया है। वर्ष 2013–14 में 937 कम आवक क्षमता वाले नलकूपों के पुनर्जीवीकरण का कार्य भी विभागीय हाइड्रोफ्रैक्चरिंग इकाइयों का उपयोग कर किया गया। विभागीय रिग मशीनों से कुल 1963 नलकूपों की सफाई का कार्य भी किया गया है। विभाग में उपलब्ध यील्ड टेस्ट इकाईयों के द्वारा नलजल योजना हेतु 142 नलकूपों का यील्ड टेस्ट भी किया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग के पास उपलब्ध तीन इनवेल मशीनों से 17 नलकूपों का खनन किया गया 29 नलकूपों की सफाई की गई तथा 8 कार्य रिचार्जिंग के अन्तर्गत किए गए ।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय मशीनों से नलकूप खनन कर शुद्ध पेयजल प्रदाय व्यवस्था

नलकूप खनन हेतु विभाग में कुल 114 विभागीय खनन मशीनें उपलब्ध हैं, जिनमें 103 डी.टी.एच. रिग, 8 रोटरी रिग (ग्रेव्हल पैक) तथा 3 काम्बीनेशन रिग मशीनें हैं। जिलों की भूसंरचना को दृष्टिगत रखते हुए डी.टी.एच. रिग पथरीले इलाके में साधारण नलकूप, रोटरी रिग मशीनें मिट्टी एवं रेतीले स्ट्रेटा में ग्रैवल पैक नलकूप तथा काम्बीनेशन रिग मिश्रित स्ट्रेटा के क्षेत्र में नलकूप खनन करने के लिये प्रयुक्त होती हैं। वर्तमान में 5 हाइड्रोफ्रैक्चरिंग मशीनें जल आवक क्षमता बढ़ाने एवं 3 ईल्ड टैस्ट यूनिट भी जल आवक क्षमता परीक्षण के लिए विभाग में उपलब्ध हैं।

• विभागीय ड्रिलिंग मशीनों द्वारा विगत वर्षों में किये गये कार्यों की प्रगतिः–

वर्ष	खनित नलकूपों की संख्या	सफल नलकूपों की संख्या
2011–12	10347	9194
2012–13	12841	11233
2013–14	11206	9886

• विभागीय वाहनों की जानकारी :–

विभाग के पास वर्ष 1991 के बाद के 63 निरीक्षण वाहन उपलब्ध हैं। आवश्यकतानुसार अन्य वाहन किराये पर लिये जाते हैं।

- **वर्कशॉप :–**

विद्युत/यॉंत्रिकी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जबलपुर एवं ग्वालियर में वर्कशॉप उपखण्ड कार्यरत् हैं। भोपाल स्थित कर्मशाला के अन्तर्गत हल्के एवं भारी वाहनों का संधारण कार्य भोपाल स्थित मेला उपखण्ड द्वारा किया जाता है।

3.15 प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता प्रणालियों के सफल रूपांकन क्रियान्वयन परिचालन एवं रख रखाव के लिये पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता आवश्यक है। लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को जल आपूर्ति तथा सफाई–व्यवस्था के क्षेत्र में आवश्यक तकनीकी तथा प्रबंधन दक्षता प्राप्त होना तथा समय–समय पर इसे अद्यतन करना और लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान एवं विकास से अवगत कराना आवश्यक है।

उपरोक्त उद्दश्यों को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार, शहरी विकास और गरीबी उप–शमन मंत्रालय नई–दिल्ली के द्वारा शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से जल आपूर्ति और सफाई कार्यक्रम से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में सेवारत इंजीनियरों तथा अन्य अधिकारियों में आवश्यक दक्षता विकासित करने की दृष्टि से इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिये विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 में प्रशिक्षण हेतु 108 अधिकारी/कर्मचारियों को नामांकन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में प्रशिक्षण हेतु 116 अधिकारी/ कर्मचारियों को नामांकित किया गया। सी.पी.एच.ई.ई.ओ. नईदिल्ली द्वारा मुख्यतः निम्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये :–

1. केयर एण्ड यूज ऑफ क्लोरीनेटर्स
2. टोटल क्वालिटी मैनेजमेन्ट
3. टेण्डर एण्ड कांट्रेक्ट
4. फिल्टर ऑपरेशन
5. पॉजिटिव प्रिवेन्टिव मेन्टीनेन्स एण्ड लीक डिक्टेशन इन वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैनेजमेन्ट
6. कम्प्यूटर ऐडेड डिजाइन आफ वाटर सप्लाई एण्ड सीवर नेटवर्क
7. रेन वाटर हारवेस्टिंग
8. लेइंग आफ वाटर मेन्स एंड सीवर लाइन्स
9. पंप एण्ड पंपिंग मशीनरी फार पी.एच.ई. जॉब्स

इसी प्रकार आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल द्वारा आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये वर्ष वर्ष 2011–12 में 204 एवं वर्ष 2013–14 में 90 अधिकारियों को नामांकित किया गया, इसके अतिरिक्त इंडियन वाटर वर्क्स एसोसियेशन द्वारा बैंगलूर में वर्ष 2013–14 में आयोजित 46 वें अधिवेशन हेतु 15 अधिकारियों को नामांकित किया गया। केन्द्रीय भू–जल बोर्ड रायपुर द्वारा वर्ष 2013–14 में विभिन्न विषयों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 48 अधिकारियों को नामांकित किया गया। इंजीनियरिंग स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया हैदराबाद द्वारा वर्ष 2013–14 में विभिन्न विषयों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 57 अधिकारियों को नामांकित किया गया। उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमेप) द्वारा वर्ष 2013–14 में विभाग में

नवनियुक्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिये कार्यालय प्रबंधन पर 02 प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिसमें 50 कर्मचारियों को नामांकित किया गया।

3.16 विभागीय कम्प्यूटरीकरण की प्रगति :–

ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी निरंतर किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय से उपखंड स्तर तक के सभी कार्यालयों हेतु विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकरण की योजना की स्वीकृति राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन से केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त की गयी है। विभाग की गतिविधियों एवं आंकड़ों के संग्रहण हेतु कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर को विकसित किया गया है, जिनका उपयोग विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा हेतु किया जाता है। जिनमें जिलास्तर से प्रत्येक माह जानकारी भरी जाती है, एवं विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है। केन्द्र शासन के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भी विभाग की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा हेतु विभिन्न ऑन लाईन साफ्टवेयर का विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयरों जैसे– परख, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कार्यक्रम, समाधान ऑनलाईन, एम.पी.आर. एवं लोक सेवा गारंटी इत्यादि में भी जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। इन समस्त सॉफ्टवेयर्स का उपयोग विभाग के कार्यालयों में उपलब्ध कम्प्यूटर हार्डवेयर के सहयोग से किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित नवीन एप्लीकेशन साफ्टवेयरों का विभाग में समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु विभाग के विभिन्न कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर हार्डवेयर को अद्यतन करने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है ।

विभागीय कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत विभाग के कार्यालयों में निम्नानुसार कम्प्यूटर/हार्डवेयर आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है :–

• प्रमुख अभियंता कार्यालय

प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रमुख अभियंता, प्रमुख अभियंता (सलाहकार), मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्रियों, कार्यपालन यंत्रियों, बायोलाजिस्ट तथा विभिन्न महत्वपूर्ण कक्षों में, जैसे मानिटरिंग, डिजाइन, बजट, स्थापना, जल संसाधन प्रकोष्ठ, भंडार कक्ष, रोकड़ शाखा आदि में कम्प्यूटर तथा प्रिंटर स्थापित किये गये हैं। कम्प्यूटर्स एवं प्रिंटर्स को सतत् कार्यरत रखने के लिये उन्हें यू.पी.एस. से जोड़ा गया है। इनका उपयोग प्रदेश स्तरीय आंकड़ों के संग्रहण, विभागीय कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर, केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभिन्न ऑन लाईन साफ्टवेयर, ई–मेल से जानकारी के सम्प्रेषण एवं सामान्य पत्राचार के लिये आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में सभी कम्प्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़े गये हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार एन.आई.सी. एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से साफ्टवेयर विकास का कार्य भी किया जा रहा है।

• परिक्षेत्र कार्यालय

विभाग के विभिन्न परिक्षेत्र कार्यालयों में लेपटॉप, डेस्कटॉप कम्प्यूटर आवश्यक साफ्टवेयर के साथ, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एवं डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। समस्त परिक्षेत्र कार्यालयों में इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त आवश्यक यू.पी.एस. एवं सी.वी.टी. भी स्थापित किये गये हैं।

- ## मंडल कार्यालय

विभाग के अंतर्गत मंडल कार्यालयों को भी आवश्यक साफ्टवेयर के साथ, इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. एवं सी.वी.टी. उपलब्ध कराये गये हैं।

- ## खण्ड कार्यालय

कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत जिला स्तर के प्रत्येक खण्ड कार्यालयों को भी इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम्प्यूटर, प्रिटंर के साथ–साथ यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रयोग शालाओं हेतु भी एक–एक कम्प्यूटर आवश्यक साफ्टवेयर के साथ उपलब्ध कराये गये हैं।

- ## उपखण्ड कार्यालय

विभाग के विकास खण्ड स्तर पर स्थित उपखण्ड कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश में लागू लोक सेवा गांरटी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर आम नागरिक से प्राप्त आवेदनों की डाटा एन्ट्री करने तथा सेवा उपलब्ध करवाने की स्थिति की समीक्षा हेतु एक नग कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. इन्टरनेट कनेक्टीविटी के साथ पृथक से उपलब्ध करवाया गया है। विभाग के उपखंड स्तर के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिलाया गया है।

- ## राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला

राज्य अनुसंधान प्रयोग शाला भोपाल को भी कम्प्यूटर, यू.पी.एस. व प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। केन्द्र शासन के राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के ऑन लाईन साफ्टवेयर की मॉनिटरिंग हेतु राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला को राज्य संदर्भ संस्थान बनाया गया है।

- ## सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों का अद्यतनीकरण

विभाग द्वारा पूर्व में विकसित विभिन्न कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर को विभाग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है एवं तद्नुसार अद्यतन करने की कार्यवाही समय–समय पर की जाती है।

✷ जल स्त्रोतों के अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु एक सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में स्थापित विभिन्न शासकीय नलकूपों के अवयव जैसे– गहराई, व्यास, जलक्षमता, पाईपों का विवरण इत्यादि की जानकारी एवं नलकूपों के चालू एवं बंद होने की स्थिति, प्लेटफार्म की स्थिति, नलकूप का फोटो इत्यादि का संग्रहण टेबलेट पी.सी. के माध्यम से करने तथा इस जानकारी को आनलाईन वेबसाइट पर प्रकाशित करने तथा जी.आई.एस. मेप पर उनकी स्थिति उपलब्ध करवाने की योजना क्रियान्वित की गई है । इस योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश में स्थापित समस्त नलकूपों की जानकारी का तथा नलकूपों की चालू/बंद होने की स्थिति का अवलोकन आनलाईन वेबसाइट पर किया जा सकता है, जिससे नलकूपों के संधारण तथा नये नलकूपों के खनन की योजना सार्थक रूप से क्रियान्वित हो रही है। वर्ष 2013–14 में 173203 स्त्रोतों की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया गया है तथा शेष स्त्रोतों की मैपिंग का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के समस्त जल स्त्रोतों के भौतिक एवं जल गुणवत्ता संबंधी ऑकड़े ऑन–लाईन उपलब्ध हो होने से उससे संबंधित जानकारी किसी भी स्तर पर कहीं से भी ऑन–लाईन प्राप्त की जा सकती है। विभाग द्वारा विकसित उक्त साफ्टवेयर को मध्यप्रदेश सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 हेतु पुरस्कृत किया गया।

मध्यप्रदेश सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 हेतु विभाग द्वारा विकसित उक्त साफ्टवेयर को पुरस्कृत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन।

✷ एस.एम.एस. आधारित शिकायत पंजीकरण एवं निवारण व्यवस्था–

इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिगड़े हैण्डपंपों की सूचना शिकायतकर्ता द्वारा हैण्डपंप का यूनिक कोड एक टोल फ्री नंबर पर एस.एम.एस. कर शिकायत पंजीकृत की जाएगी जो सेंट्रल सर्वर द्वारा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वचलित रूप से अग्रेषित होगी। सुधार के उपरांत संबंधित अधिकारी द्वारा सूचना सेंट्रल सर्वर को प्रेषित होगी, जो निराकरण की सूचना के रूप में शिकायतकर्ता को स्वचलित प्रणाली से अग्रेषित हो जावेगी। इस सॉफ्टवेयर के कारण ग्रामीणजनों को बिगड़े हैण्डपंपों की शिकायत के पंजीकरण हेतु विभागीय कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

• विभागीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभाग द्वारा विगत वर्षो में प्रमुख अभियंता कार्यालय, परिक्षेत्र कार्यालयों एवं जिला स्तर के खंड कार्यालयों एवं उपखंड कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी प्रशिक्षणों के माध्यम से दी गई है। भारत शासन तथा प्रदेश के विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयर में डाटा एन्ट्री करने तथा इनका उपयोग कर कार्य की समीक्षा करने हेतु भी, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को केन्द्र शासन से सहायक गतिविधियों के अंतर्गत प्राप्त राशि से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

• ई–टेण्डरिंग प्रकिया

शासन के निर्देशानुसार विभाग में रूपये 2.00 लाख से अधिक लागत की निविदाओं का आमंत्रण तथा निष्पादन ई–टेण्डरिंग के माध्यम से किया जा रहा है। इस हेतु विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में ई–टेण्डरिंग

प्रक्रिया का क्रियान्वयन करने हेतु अनुबंधित फर्म के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2008 से अब तक 2248 से अधिक निविदाएं ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की गई हैं।

- ## विभागीय वेबसाइट

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेबसाइट (www.mpphed.gov.in) पर अन्य जानकारियों के साथ ही निम्न महत्वपूर्ण जानकारियॉं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

- विभाग के उद्देश्य, दायित्व, संरचना व योजनाओं की जानकारी।
- विभागीय कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी।
- सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी एवं विभिन्न प्रपत्र एवं मैन्युअल।
- विभाग द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवाओं एवं पेयजल नमूनों के परीक्षण शुल्क की जानकारी।
- तकनीकी व अन्य परिपत्र/निर्देश, विभिन्न स्तर के तकनीकी एवं वित्तीय अधिकार, आई.एस. कोड की सूची, विभागीय कार्यालयों के दूरभाष, आदि का विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची।
- विभाग द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं की जानकारी।
- विभागीय फोरम।
- विभागीय उत्कृष्ठ कार्यो के वीडियो, आडियो, छायाचित्र, सफलता की कहानियॉं, प्रचार–प्रसार सामग्री उपलब्ध।
- अधीनस्थ कार्यालयों से पत्राचार की व्यवस्था वेबसाईट के माध्यम से की गई है जिससे अनावश्यक स्टेशनरी एवं डाक व्यय की बचत के साथ समय की भी बचत।
- विभिन्न कार्यालयों द्वारा की जा रही गतिविधियों की दक्षता का विवरण।

3.17 नगरीय पेयजल कार्यक्रम :–

3.17.1 कार्यक्रम और उपलब्धियां :–

भारतीय संविधान में 74 वें संविधान संशोधन के परिपालन में नगरीय पेयजल की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग द्वारा स्थानीय निकायों को सौपी जा चुकी है। शासन द्वारा जुलाई 2000 में निर्णय लिया गया कि नगरीय निकाय, जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन स्वयं करने या लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग से या किसी अन्य संस्था के माध्यम से कराने के लिये स्वतंत्र होंगे। इसी प्रकार यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी नगरीय जलप्रदाय योजनाएं, जिनका संचालन एवं संधारण, लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा था, उनका संधारण अमले सहित संबंधित नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जायेगा, तदानुसार विभाग द्वारा कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

दिसंबर 2012 की स्थिति में प्रदेश की केवल 2 जलप्रदाय योजनाओ को छोड़कर (सीधी एवं झाबुआ, नगरीय निकायों को हस्तांतरित नहीं हो सकी हैं एवं विभाग द्वारा इनका संचालन–संधारण किया जा रहा है) शेष योजनाएं संबंधित नगरीय निकायों द्वारा संचालित–संधारित की जा रही हैं।

3.17.2 सामान्य नगरीय जलप्रदाय योजना कार्यक्रम :–

नगरीय जलप्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत 10 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं एवं गतिवर्धित नगरीय जल प्रदाय योजना कार्यक्रम में पूर्ण की गई 39 योजनाओं के संबंधित नगरीय निकायों को हस्तांतरण की

सागर जिले में बीना नदी पर आधारित, खुरई नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना के अंतर्गत उच्च स्तरीय टंकी का निर्माण, क्षमता 7 लाख लीटर

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में नगरीय जल प्रदाय योजनाओं का कार्य संबंधित नगरीय निकायों द्वारा किया जा रहा है।

✹ नर्मदा जल प्रदाय परियोजना, भोपाल के कार्यों की भौतिक प्रगति विवरणः—

भोपाल नगर हेतु नर्मदा नदी पर आधारित पेयजल आवर्धन योजना, लागत रुपये 240 करोड़ का प्रशासकीय अनुमोदन फरवरी 2005 में दिया गया था। उक्त योजना की लागत क्रियान्वयन अवधि में वृद्धि के कारण योजना पुनरीक्षित कर लागत रुपये 383.00 करोड़ का प्रशासकीय अनुमोदन शासन स्तर पर विचाराधीन है। योजना के अन्तर्गत शाहगंज के निकट हिरानी गॉव के पास से भोपाल नगर तक लगभग 69.4 कि.मी. लम्बी 1100 से 1400 मिलीमीटर व्यास की पाईप लाइन के माध्यम से जल पहुँचाया जा रहा है। इस योजना में वर्ष

2022 के लिये 27.50 लाख की रूपांकित जनसंख्या हेतु 185 एम.एल.डी. जलप्रदाय की व्यवस्था नर्मदा स्रोत से की जा रही है। वर्तमान में आवश्यकतानुसार 90 से 135 एम.एल.डी. जलप्रदाय किया जा रहा है। योजनाएँ वर्ष 2013–14 तक राशि रूपये 310.50 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

3.17.3 नगरीय मल जल निकास योजनाएं :–

ग्वालियर नगर की मलजल निकास योजना, पुनरीक्षित लागत रुपये 58.50 करोड़ के लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना में रुपये 60.91 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

3.17.4 राष्ट्रीय नदी/झील संरक्षण योजना कार्यक्रम :–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निक्षेप कार्य के रूप में विभाग द्वारा 4 योजनाओं का कार्य किया जा रहा है जिनकी कुल लागत राशि रूपये 12487.00 लाख हैं तथा कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	योजना का नाम	लागत रूपये लाख में
1	शिवपुरी झील संरक्षण योजना जिला शिवपुरी	6951.00
2	बीहर नदी संरक्षण योजना जिला रीवा	2910.00
3	चित्रकूट नदी संरक्षण योजना जिला सतना	620.00
4	नर्मदा नदी संरक्षण योजना जिला होशंगाबाद	2006.00

3.17.5 सिंहस्थ 2016 से संबंधित कार्यों की स्थिति :–

उज्जैन नगर में वर्ष 2016 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कार्यक्रम हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यों में से विभाग को लागत राशि रूपये 2815.00 लाख के निम्न कार्य निक्षेप मद में क्रियान्वित करने हेतु सौंपे गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	कार्य का नाम	लागत रूपये लाख में
1.	पंचक्रोशी क्षेत्र में विभिन्न पड़ाव स्थल पर पानी की टंकी 3 आर . सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी निर्माण कार्य पाईप लाईन एवं ड्रेनेज व्यवस्था ।	917.00
2	गऊघाट पर 6 एम.जी.डी. क्षमता नवीन जलशोधन संयत्र निर्माण कार्य एवं पंप हाउस आदि का निर्माण कार्य (रॉ एवं क्लीयर वाटर मेन सहित)	617.00
3.	गम्भीर नदी पर नवीन इंटेकवेल का निर्माण एवं मोटर शिफ्टिंग का कार्य एवं गम्भीर इंटेकवेल के लिये मुख्य पाईप लाइन 800 मि.मी. व्यास के 1000 मीटर लम्बाई	291.00
4.	साहिब खेड़ी पर 1.75 एम.जी.डी. का नवीन जलशोधन संयत्र निर्माण कार्य एवं पंप हाउस आदि का निर्माण कार्य (रॉ एवं क्लीयर वाटर मेन सहित)	590.00
5.	अम्बोदिया के जलशोधन संयत्र 12 एम.जी.डी. का उन्नयन कार्य	250.00
6.	गऊघाट के जलशोधन संयत्र 12 एम.जी.डी. का उन्नयन कार्य	150.00

4. भाग – चार

4.1 सामान्य प्रशासनिक विषय

4.1.1 न्यायालयीन प्रकरण :–

दिनांक 31.03.2014 तक विभाग से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में दायर प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्रमांक	न्यायालय	31.03.2014 की स्थिति में प्रकरणों की संख्या
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	258
2	माननीय उच्च न्यायालय	941
3	माननीय माध्यस्थम् अभिकरण	01
4	माननीय औद्योगिक न्यायालय	63
5	माननीय दावा अधिकरण	–
6	माननीय जिला न्यायालय	56
7	माननीय श्रम न्यायालय	353
	कुल योग	1672

4.1.2 कर्मचारी कल्याण अभियान :–

पैंशन प्रकरण :–

दिनांक 31.03.14 की स्थिति में सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पैंशन प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रकरण का विवरण	वर्ष में निरा–करण के लिये शेष पैंशन प्रकरण	लंबित पेंशन प्रकरणों का वर्गीकरण				
		विभाग के पास लंबित प्रकरणों की संख्या जो संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को भेजे जाना हैं	संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पैंशन को प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या जिनमें अभी तक पी.पी.ओ. जारी नहीं हुई है	न्यायालयीन प्रकरण संस्थित होने के कारण लंबित प्रकरण	विभागीय जांच लंबित रहने के कारण लंबित प्रकरण	दोहरी सेवा पुस्तिका –1 की मान्यता एवं जन्म तिथि की मान्यता के कारण लंबित प्रकरण
1.4.97 से 31.03.2014 तक सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारियों के प्रकरण	65	17	10	06	18	14
योग :	**65**	**17**	**10**	**06**	**18**	**14**

दिनांक 1.4.97 से पूर्व सेवानिवृत्त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का पेंशन प्रकरण लंबित नहीं है।

4.1.3 स्थानान्तरण प्रकरण :–

01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि में विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं स्वयं के व्यय पर किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण का विवरण निम्नानुसार है :–

श्रेणी	कुल स्थानान्तरण	निरस्त	शेष स्थानांतरण
प्रथम श्रेणी	34	–	34
द्वितीय श्रेणी	36	04	32
तृतीय श्रेणी (उपयंत्री)	18	–	18
तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी (नियमित)	42	–	42
चतुर्थ श्रेणी (कार्यभारित)	22	–	22

4.1.4 विभागीय पदोन्नतियां :–

विभाग में दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक राज्य स्तरीय पदों पर की गई विभागीय पदोन्नतियों का विवरण निम्नानुसार है :–

1	मुख्य अभियंता से प्रमुख अभियंता	–	01
2	अधीक्षण यंत्री (सिविल) से मुख्य अभियन्ता (सिविल)	–	04
3	कार्यपालन यंत्री से अधीक्षण यंत्री (सिविल)	–	01
4	सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री (सिविल)	–	17
5	प्रशासनिक अधिकारी से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	–	01
6	उपयंत्री (सिविल) से सहायक यंत्री (सिविल)	–	04
7	उपयंत्री (वि/यां) से सहायक यंत्री (वि/यां)	–	08
8	सहायक मानचित्रकार से मानचित्रकार	–	12
9	सहायक ग्रेड–2 से सहायक ग्रेड–1	–	01
10	शीघ्रलेखक से निज सहायक	–	10
11	निज सहायक से वरिष्ठ निज सहायक	–	02

4.1.5 विभागीय जाँच प्रकरण :–

दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि में लम्बित विभागीय जाँच प्रकरण:–

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग में 22 प्रथम श्रेणी अधिकारियों के विरूद्ध जाँच चल रही है। (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 17 विभागीय जाँच प्रकरण विचाराधीन हैं, जिसमें 15 अधिकारी सम्मिलित हैं तथा विभाग स्तर पर 13 विभागीय जॉच प्रकरणों में 07 अधिकारी सम्मिलित हैं।)

द्वितीय श्रेणी के कुल 12 अधिकारियों पर विभागीय जांच चल रही है। (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 04 विभागीय जांच प्रकरण, विभाग स्तर पर 07, एवं कलेक्टर/कमिश्नर स्तर पर 01 विभागीय जांच प्रकरण विचाराधीन हैं।)

तृतीय रेणी के 25 प्रकरण विचाराधीन हैं, जिसमें विभाग के कुल 146 कर्मचारियों पर विभागीय लांच चल रही है। (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 05 विभागीय जांच प्रकरण विचाराधीन है जिसमें 68 कर्मचारी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार विभाग स्तर पर 13 विभागीय जांच प्रकरण विचाराधीन हैं, जिसमें 68 कर्मचारी सम्मिलित हैं एवं कलेक्टर/कमिश्नर स्तर पर 07 विभागीय जांच प्रकरण विचाराधीन हैं जिसमें 10 कर्मचारी सम्मिलित हैं।)

विभाग के प्रथम श्रेणी के 01 द्वितीय श्रेणी के 02 एवं तृतीय श्रेणी के 07 कर्मचारी निलम्बित हैं।

4.1.6 नियुक्तियाँ :—

वर्ष 2013—14 में 31.03.2014 तक सीधी भर्ती के पदों पर म.प्र. व्यावसायिक परीक्षण मण्डल भोपाल द्वारा चयनित 77 उपयंत्रियों (सिविल) के नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं।

4.2 सूचना का अधिकार :—

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 5 (1) एवं धारा 5 (2) के अनुसार लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिये विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त हैं :—

क्रमांक	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1. शासन स्तर पर	उप सचिव	अवर सचिव (तकनीकी)	सचिव/प्रमुख सचिव
2. प्रमुख अभियंता कार्यालय स्तर पर	अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)	संयुक्त संचालक (लेखा) (संयुक्त संचालक लेखा उपलब्ध न होने पर प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित कार्यपालन यंत्री)	प्रमुख अभियंता
3.परिक्षेत्र स्तर पर	मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ अधीक्षण यंत्री (मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित)	लेखा अधिकारी (लेखा अधिकारी पदस्थ न होने पर मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित अधिकारी/कर्मचारी)	संबंधित मुख्य अभियंता
4. मंडल कार्यालय/अधीक्षण यंत्री कार्यालय स्तर पर	कार्यपालन यंत्री अथवा अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित सहायक यंत्री	मंडल अधीक्षक (मंडल अधीक्षक उपलब्ध न होने पर अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित कर्मचारी)	मंडल के अधीक्षण यंत्री
5. जिला/खंड कार्यालय स्तर पर	संबंधित खंड के कार्यपालन यंत्री	संभागीय लेखापाल	संबंधित मंडल के अधीक्षण यंत्री
6. उपखंड स्तर पर	सहायक यंत्री	उपयंत्री (मुख्यालय में पदस्थ एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा नामांकित)	कार्यपालन यंत्री

सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत 01 जनवरी' 2013 से 31 दिसम्बर' 2013 तक 1042 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 970 आवेदनों का निराकरण किया गया। शेष 72 आवेदनों की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है, कार्यवाही प्रचलित है।

4.3 वर्ष 2013 में विधानसभा प्रश्नों आदि से सम्बन्धित कार्यों का विवरण :—

वर्ष 2013 में विधानसभा सत्रों की अवधि में माननीय विधायकों द्वारा पूछे गये विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं एवं स्थगन प्रस्तावों से सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है

क्र.	विषय	विधानसभा सत्र (फरवरी–अप्रैल, 13)		विधानसभा सत्र (जुलाई, 13)	
		कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये	कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये
1	विधान सभा प्रश्न	138	138	64	64
2	शून्यकाल की सूचनाएँ	3	3	1	1
3	ध्यानाकर्षण सूचनाएं	3	3	0	0
4	स्थगन प्रस्ताव	0	0	0	0

4.4 महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण– दिनांक 09 जनवरी 2014 पर कार्यवाही :–

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण दिनांक 9 जनवरी 2014 की कंडिका क्रमांक–20 का उल्लेख किया गया है जिससे संबंधित विवरण निम्नानुसार है :–

अभिभाषण की कंडिका के संबंधित अंश	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
कंडिका–20 मेरी सरकार पाँच वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों की 40,000 बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था करेगी। एक सौ तक की आबादी वाले मजरे/टोलों में अनिवार्य रूप से न्यूनतम एक पेयजल स्त्रोत उपलबध करवायेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 करोड़ रुपये की लागत से बड़ी एवं छोटी सभी प्रकार की नल–जल योजनाओं का क्रियान्वयन कर डेढ़ करोड़ ग्रामीण आबादी को जल प्रदाय सुनिश्चित करेगी। ग्रामीण आबादी को जलप्रदाय योजना के माध्यम से जल–प्रदाय के वर्तमान स्तर 10 प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत 34 प्रतिशत तक लाया जायेगा। भू–जल स्त्रोतों पर निर्भरता कम करने हेतु सतही स्त्रोत आधारित समूह योजनाएं क्रियान्वित की जायेगी।	31.3.14 की स्थिति में प्रदेश की कुल 127197 बसाहटों में से 98500 बसाहटों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति के मान से जल आपूर्ति की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 11,500 बसाहटों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। 100 तक की आबादी वाली 677 चिन्हित बसाहटों, जिनमें पूर्व में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी थी किन्तु वर्तमान में जिनमें कोई सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं, में वर्ष 2014–15 में न्यूनतम एक स्त्रोत उपलब्ध कराया जायेगा। सतही स्रोत आधारित 5 समूह योजनाएं जिनकी लागत रु. 616.57 करोड़ की है, के कार्य प्रारंभ किये गये है। साथ ही 22 समूह योजनाएं जिनकी लागत रु. 825 करोड़ है, के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से जल आपूर्ति राष्ट्रीय औसत के समतुल्य करने हेतु काफी बड़ी संख्या में नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन आवश्यक होगा। सतही स्त्रोतों की उपलब्धता एवं ग्रामों की आपसी दूरी को दृष्टिगत रखते हुये समूह एवं एकल नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

5. भाग – पाँच

अभिनव योजनायें :–

5.1 संकल्प 2010 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्याओं के समाधान के लिये ''मुख्य मंत्री पेयजल योजना'' का क्रियान्वयन

संकल्प 2010– मुख्यमंत्री पेयजल योजना क्रियान्वयन के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कम आबादी (1000 से कम) वाले ग्रामों/बसाहटों में 1000 नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन लक्षित था जिसके विरूद्ध क्रमशः वर्ष 2010–11 में 916, 2011–12 में 928, 2012–13 में 946 एवं वर्ष 2013–14 में 797 योजनाओं को पूर्ण किया गया । स्वीकृत शेष 513 योजनाओं का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

5.2 बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज :–

विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड के 6 जिलों के लिए 1287 स्पॉट सोर्स योजनाओं के कार्य स्वीकृत किये गये है, इनमें नलकूप एवं कुओं पर आधारित पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं, जिसकी अनुमानित लागत रूपये 103.45 करोड़ है।

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत स्पॉट सोर्स योजनाओं का क्रियान्वयन, जिला छतरपुर

बुंदेलखंड विशेष पैकेज के अंतर्गत रुपये 100.00 करोड़ की पेयजल योजनाएं प्रस्तावित की गई थीं, भारत सरकार, योजना आयोग रैनफेड अथार्टी ऑफ इंडिया के पत्र दिनांक 21.6.2011 के द्वारा रूपये 100.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार से अब तक सम्पूर्ण राशि मुक्त की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में कुल 104 योजनाएं, वर्ष 2012–13 में 647 एवं वर्ष 2013–14 में 302 योजनाएं पूर्ण की गई इस प्रकार 1287 स्वीकृत योजनाओं में से 1053 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। इन कार्यों पर 31.3.14 तक कुल रुपये 97.42 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

5.3 एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.) के अन्तर्गत जिलों में सौर ऊर्जा आधारित पेयजल व्यवस्था :–

प्रदेश के एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.) अन्तर्गत चिन्हित 10 जिलों की 250 तक की आबादी वाले ग्राम/बसाहटों में सौर ऊर्जा आधारित पावर पम्पों की स्थापना कर पाईप लाईन द्वारा घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय के कार्य भारत शासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2013–14 में 290 ग्रामों/बसाहटों में कार्य पूर्ण कर ग्रामीणों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया। इस व्यवस्था से अब हैंण्डपंप के साथ–साथ घरेलू कनेक्शन के माध्यम से भी पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित हुई है।

बसाहटों में सौर ऊर्जा आधारित पावर पम्पों की स्थापना कर पाईप लाईन द्वारा घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय के कार्य, जिला सिवनी

बसाहटों में सौर ऊर्जा आधारित पावर पम्पों की स्थापना कर पाईप लाईन द्वारा घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय के कार्य, जिला सिवनी

5.4 शालाओं में सौर ऊर्जा आधारित पम्प सेट्स की स्थापना :–

प्रदेश के सभी जिलों की दो–दो शालाओं में सोलर पंपसेट स्थापित करने हेतु ऊर्जा विकास निगम को कार्यादेश दिये गये थे, जिसके अन्तर्गत 25 जिलों में 50 सोलर पम्पसेट स्थापना के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष कार्य प्रगति पर हैं।

ग्रामीण शालाओं में सौर ऊर्जा आधारित पम्प सेट्स की स्थापना

5.5 खदान क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पम्पों की स्थापनाः—

प्रदेश की खदान क्षेत्र की ऐसी बसाहटें, जिनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम (1000 तक की आबादी) होने अथवा ग्रामीणों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण पर्याप्त संख्या में नल कनेक्शन नहीं हो पाते जिसके कारण विद्युत देयकों का भुगतान संभव नहीं होता की योजनाओं के समुचित संचालन हेतु खदान क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत रूपये 8.00 करोड़ की लागत से 118 सौर ऊर्जा आधारित पम्पों की स्थापना वर्ष 2013—14 में की जाना लक्षित थी, जिसके विरूद्ध 40 योजनाओं में सौर ऊर्जा आधारित पम्पों की स्थापना की जा चुकी है। शेष कार्य ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से संपादित कराये जा रहे हैं।

5.6 राज्य जल सहायता संगठनः—

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम'' के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2009 से प्रभावी तथा माह अगस्त 2013 में संशोधित मार्गदर्शिका में दिए गये निर्देशानुसार प्रदेश में ''राज्य पेयजल मिशन'' के अंतर्गत ''राज्य जल सहायता संगठन'' कार्यरत है। इस संगठन के अंतर्गत सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः मानव संसाधन विकास, सूचना शिक्षा एवं संचार, जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी, सूचना प्रबंधन प्रणाली विकास, अनुसंधान एवं विकास जैसी गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

जल सहायता संगठन के अंतर्गत संविदा आधार पर स्वीकृत एवं भरे हुये पदों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों के विरूद्ध भरे गये पद
अ) राज्य स्तर			
1.	राज्य सलाहकार (मानव संसाधन विकास एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार)	1 पद	1 पद
2.	राज्य सलाहकार (भूजल विद्)	1 पद	1 पद
3.	राज्य सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)	1 पद	—
4.	राज्य सलाहकार (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी)	1 पद	1 पद
5.	लेखापाल	1 पद	—
6.	डाटा इंट्री आपरेटर	1 पद	1 पद
ब) जिला स्तर			
1.	जिला सलाहकार (मानव संसाधन विकास)	50 पद	49 पद
2.	जिला सलाहकार (सूचना, शिक्षा एवं संचार)	50 पद	48 पद
3.	जिला सलाहकार (भूजल विद्)	50 पद	33 पद
4.	जिला सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्याकंन)	50 पद	26 पद
स) विकासखण्ड स्तर			
1.	विकासखण्ड स्तरीय संयोजक (तकनीकी)	313 पद	306 पद
	कुल	**519 पद**	**466 पद**

विभाग के भोपाल स्थित गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड को अनुसंधान एवं विकास इकाई के रूप में मान्य किया गया है। राज्य तकनीकी अभिकरणों (एस.टी.ए.) का चयन एवं विभागीय योजनाओं के परीक्षण, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु समन्वय भी इस संगठन द्वारा किया जाता है। राज्य तकनीकी अभिकरणों (एस.

टी.ए.) के रूप में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.ए.एन.आई.टी.), भोपाल य म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मैप कास्ट), भोपाल एवं श्री गोविन्दराम सेक्सेरिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एस.जी.एस.आई.टी.एस.), इंदौर को चयनित किया गया है।

जल सहायता संगठन के द्वारा मुख्य रूप से संपादित की जाने वाली सहायक गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :—

5.6.1 **मानव संसाधन विकास गतिविधियां :** मानव संसाधन विकास के अंतर्गत विभाग के आंतरिक एवं अन्य मैदानी अमले का क्षमतावर्धन करते हुये विभिन्न विभागों के साथ समन्वय, तथा पंचायती राज्य प्रतिनिधियों का उनमुखीकरण कर विभागीय गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिक प्रशिक्षण कैलण्डर तैयार कर तद्नुसार विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का प्रशिक्षण राज्य स्तर, परिक्षेत्र स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर तक किया जाता है। इस हेतु इस वर्ष भी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन (TNA) कार्यशाला आयोजित कर विभिन्न स्तरों पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु मॉडयूल तैयार कर राज्य स्तर से उपलब्ध कराये गये है।

लाभांवित समुदाय द्वारा योजनाऐं संचालित एवं संधारित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम हेतु ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों के सदस्यों को पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कैस्केड मोड में प्रशिक्षित किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जागरुकता सप्ताह के आयोजन हेतु
राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

इस वर्ष संपादित प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	नवनियुक्त जिला कंसलटेंट का आधारभूत प्रशिक्षण	156
2	नवनियुक्त विकासखंड स्तरीय (तकनीकी) का आधारभूत प्रशिक्षण	306
3	विभागीय अभियंताओं / कर्मचारियों तथा अन्य विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण	5035
4	ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समतियों के सदस्यों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	30415
5	फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मैदानी अमले का प्रशिक्षण	30199

5.6.2 सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां :—

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के प्रचार—प्रसार एवं शुद्ध पेयजल की जानकारी को प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां संपादित की जाती हैं। इन गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग की एक समिति गठित की गई है। प्रचार—प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, चलचित्र प्रसारण, जागरूकता रथ का भ्रमण रेडियो / केबल प्रसारण, ग्रामीण सहभागिता आंकलन (पी.आर.ए.), होर्डिग्स, नारा लेखन, ग्राम सभा, वार्ड सभा इत्यादि कार्य किये जाते हैं।

इस वर्ष प्रदेश के सभी जिलों में सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियाँ संपादित की गई हैं :—

क्र.	गतिविधियाँ	संख्या
1	जिला स्तरीय कार्यशाला	50
2	विकासखंड स्तरीय कार्यशाला	313
3	मेला / प्रदर्शनी आयोजन	50
4	आई.ई.सी.वेन / रथ	384
5	होर्डिंग / बैनर	5659
6	दीवार लेखन	9170
7	रेडियो / केबिल प्रसारण व एस.एम.एस.	12500
8	ग्राम सभा	31306
9	वार्ड सभा	118646
10	स्कूल रैली	18901
11	समूह बैठक	85629
12	चलचित्र प्रसारण	1144

क्र.	गतिविधियाँ	संख्या
13	वाद–विवाद प्रतियोगिता	4096
14	निबंध लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिता	6900
15	आई.पी.सी. / गृह भेंट	27382
16	नुक्कड़ नाटक / गायन एवं नाट्य कार्यक्रम	1847
17	प्रचार–प्रसार पत्र (पैम्फलेट्स) वितरण	242973
18	पी.आर.ए.	1113

छतरपुर जिले में 20 से 25 फरवरी 2014 को आयोजित जन जागरूकता सप्ताह

प्रचार–प्रसार गतिविधियों को आवश्यकतानुसार गैर शासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के माध्यम से भी कराया जाता है। प्रचार–प्रसार गतिविधियों में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर राज्य स्तर से 39 गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को सूचीबद्ध (इम्पेनलमेंट) किया गया है।

5.6.3 अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां :–

ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिशिचित करने हेतु सहायक गतिविधियों के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मैपकास्ट) भोपाल एवं बिट्स (BITS), (राँची) के सहयोग से हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजीकल मैप्स (एच.जी.एम.) को अद्यतन किया जा रहा है, जिसमें वाटर क्वालिटी लेयर को भी अंकित किया जा रहा है।

5.6.4 जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम :–

पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना अत्याधिक महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन प्रतिशत राशि जल गुणवत्ता अनुश्रवण व निगरानी कार्यक्रम के लिये निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये गये :–

1. प्रदेश में 50 जिला स्तरीय, 105 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालायें एवं राज्य स्तर पर 1 राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित हैं।
2. जिला एवं उपखंड स्तरीय प्रयोगशालाओं में प्रतिमाह 300 जल नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है।
3. वर्ष 2013–14 में एक उपखंड स्तरीय प्रयोगशाला बैरसिया जिला भोपाल में स्थापित की गई है।
4. इन प्रयोग शालाओं द्वारा वर्ष 2013–14 में 3,38,623 जल नमूनों का परीक्षण किया गया।
5. राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला में जिलों से प्राप्त जल नमूनों का प्रति परीक्षण किया जाता है। साथ ही यहाँ सीवेज, जल उपचार में उपयोग में लाये जाने वाले रसायनों की गुणवत्ता एवं पेयजल के उपचार संबंधी परीक्षण भी किये जाते हैं । यहां पर विभागीय रसायनज्ञों एवं प्रयोगशाला सहायकों के लिये जल परीक्षण संबंधी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं ।
6. भारत शासन द्वारा पेयजल में 13 घटकों की उपस्थिति संबंधी परीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है । इसमें प्रमुख रूप से मटमैलापन, पी.एच. हार्डनेस, क्लोराइड, क्षारीयता, फ्लोराइड, आयरन, नाईट्रेट, सल्फेट एवं जीवाणु परीक्षण आदि शामिल हैं।

7. वर्ष 2013–14 में 45,458 पेयजल स्त्रोतों का स्वच्छता निरीक्षण किया गया। इससे पेयजल स्रोतों के उचित रख–रखाव में सहायता मिली। इसके साथ ही सभी पेयजल स्त्रोतों का टेबलेट पी.सी. द्वारा ''जियो टैगिंग'' के समय भी स्वच्छता निरीक्षण किया गया है। जिनकी संख्या 1,72,245 है।

फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पेयजल नमूनों की जॉच कर ग्रामीणों में पेयजल की गुणवत्ता हेतु जागरुकता

8. फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से लगभग 2,04,428 पानी के नमूनों की जॉच मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई।

9. जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) भोपाल को भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा के.आर.सी. (Key Resource Center) बनाया गया है। जल सहायता संगठन द्वारा जिले एवं उपखण्ड स्तर पर स्थापित प्रयोगशालाओं में कार्यरत् रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला सहायकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण इस संस्थान में आयोजित किया गया।

फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पेयजल नमूनों की जॉच कर ग्रामीणों में पेयजल की गुणवत्ता हेतु जन–जागरुकता

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रसायनज्ञों / प्रयोगशाला सहायकों को प्रयोगशाला कार्यो का डॉक्यूमेंटेशन, जल गुणवत्ता परीक्षण व उपकरणों के संचालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

6. भाग – छः

6.1 विभागीय प्रकाशन से सम्बन्धित जानकारी :–

विभाग द्वारा पेयजल स्त्रोतों के समीप साफ–सफाई, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से सम्बन्धित सामग्री का प्रकाशन समय–समय पर किया जाता है, जिसे विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शित किया जाता है। जिला स्तर पर भी ऐसी कार्यवाही की जाती है।

7. भाग – सात

7.1 सारांश :–

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग द्वारा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013–14 से संशोधित मार्गदर्शिका लागू की गई है जिसके अनुसार सभी ग्रामों / बसाहटें में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से 100 मीटर की परिधि में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के ऐसे ग्राम अथवा बसाहटें जो 30 मीटर ऊँचाई या निचाई पर स्थित हों, में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था हेतु सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराया जाना है। ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रायः सभी योजनाएं भूगर्भीय जल स्त्रोतों पर आधारित हैं किंतु भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूगर्भीय जल की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है, विशेष रूप से ग्रीष्मकाल में अनेकों क्षेत्रों में नलकूपों में जल स्तर नीचे जाने तथा पानी की कमी की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए पेयजल योजना स्त्रोतों के पुनर्भरण संबंधी कार्य भी विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। इसी प्रकार, कठिनाई वाले क्षेत्रों में, जहां भूगर्भीय जल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, उन क्षेत्रों में व्यवहार्यता के आधार पर, समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन भी विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है जो सतही स्त्रोतों पर आधारित होंगी तथा जल शुद्धिकरण के उपरांत जल वितरण प्रणाली के माध्यम से ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। विभाग द्वारा गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की सभी योजनाएं तैयार कर ली गई हैं एवं इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है तथा प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को करने का प्रयास किया जा रहा है।

विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर स्थानीय व्यक्तियों को पेयजल गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण भी दिये गये हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत स्थल जल परीक्षण किट्स् प्रत्येक पंचायत को उपलब्ध कराए गये हैं एवं पंचायत स्तर पर ही पेयजल के सभी स्त्रोतों की गुणवत्ता के परीक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी विभागीय उपखंडों में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं जिससे पेयजल गुणवत्ता परीक्षण कार्य को और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश-जल

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2013-14

1. भाग – एक

1.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक– एफ16–149 / 2012 / 2 / 34 भोपाल दिनांक 06 जून 2012 द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम का गठन किया गया। जिसका पंजीयन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 9 जुलाई, 2012 को ''मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित'' के नाम से किया गया। मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित की अधिकृत अंशपूंजी रु. 25.00 करोड़ है।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सतही स्त्रोत आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा सुरक्षित एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्धता संबंधी कार्यो का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1.2 विभागीय संरचना

संचालक मण्डल :–

1.	माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन	–	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	–	उपाध्यक्ष
3.	माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	–	उपाध्यक्ष
4.	माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	उपाध्यक्ष
5.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	–	उपाध्यक्ष
6.	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	–	संचालक
7.	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग	–	संचालक
8.	प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	–	संचालक
9.	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	–	संचालक
10.	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग	–	प्रबंध संचालक
11.	प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग	–	संचालक

1.3 मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित कार्यालय

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थापित है। विभागाध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग (संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित) प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत हैं।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के अतंर्गत मैदानी कार्यालय 5 परियोजना क्रियान्वयन इकाईयॉं मुख्यालय क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं सागर में स्थापित की गई हैं।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के कार्यालय एवं परियोजना क्रियान्वयन ईकाईयों हेतु सहायक यंत्री स्तर तक के स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	स्वीकृत संख्या
1	प्रबंध संचालक	1
2	मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता)	1
3	महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री)	7
4	महाप्रबंधक (संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा)	1
5	महाप्रबंधक (जन सहभागिता)	1
6	महाप्रबंधक (निजी जन भागीदारी)	1
7	प्रबंधक (उप संचालक, कोष एवं लेखा)	4
8	कम्पनी सेक्रेटरी	1
9	चार्टर्ड एकाउण्टेंट	1
10	प्रबंधक (सहायक यंत्री)	12

1.4 निगम के उद्देश्य एवं कार्य :–

- राज्य के ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक स्थान पर परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा उचित वितरण व्यवस्था के साथ वर्ष भर उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- शहरी/नगरीय/ग्रामों की नलजल योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन, प्राक्कलन, निविदा प्रपत्र निर्माण, निविदाएं आमंत्रण, कार्यादेश, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण।
- भू–गर्भीय तथा सतही जल संसाधनों का संयुक्त (Conjunctive) उपयोग, सुनिश्चित करना।
- राज्य की ग्रामीण नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पेयजल समितियों के गठन, उनमें जल के प्रति सामाजिक तथा पर्यावरणीय चेतना विकसित करने में सहयोग प्रदाय करना।
- नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले जल मल के निकास एवं उपचार की योजनाओं का आकल्पन एवं क्रियान्वयन करना।
- उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बाह्य सहायता एवं ऋण सहित अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, जिसमें ऋण भी शामिल होगा, की व्यवस्था करना।
- पेयजल व्यवस्था से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करना एवं इस हेतु राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थाओं से समन्वय करना।
- पेयजल प्रदाय योजनाओं एवं जल मल निकास योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित नीतिगत निर्णय हेतु राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।

2. भाग – दो

2.1 विभागीय बजट वर्ष 2013–14

- वर्ष 2013–14 में मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के लिये शासन द्वारा अंशपूंजी राशि रूपये 15.00 करोड़ स्वीकृत की गई, किन्तु उक्त अंशपूंजी राशि जल निगम को उपलब्ध नहीं हो सकी।
- आर.आई.डी..एफ. के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 19 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत रु. 106515.52 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत 85 प्रतिशत ऋण राशि रु. 90536.44 लाख एवं राज्यांश 15 प्रतिशत राशि रु. 15979.08 लाख है।
- बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज फेस–2 अंतर्गत 07 समूह जल प्रदाय योजनाओं हेतु बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत राशि रु. 252.47 करोड़ की स्वीकृति हुई है एवं शेष राशि रु. 61.37 करोड़ राष्ट्रीय

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2013–14 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि रु. 69.80 करोड़ की अनुशंसा की गई।

मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा आयोजित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा आयोजित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा आयोजित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

3. भाग – तीन

3.0 समूह जल प्रदाय योजनाएं

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सतही स्त्रोतो पर आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

3.1 प्रथम चरण में 19 जिलों के 889 ग्रामों की 25 समूह पेयजल योजनाओं लागत रु. 1337.88 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदायें आमंत्रित की गई। 03 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश जारी किया गया है एवं कार्य प्रगति पर है। शेष 22 योजनाओं की निविदायें प्रक्रियाधीन है।

3.2 द्वितीय चरण में 33 समूह जल प्रदाय योजनाओं का चयन कर सर्वेक्षण एवं डी.पी.आर. बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 11 योजनाओं की डी.पी.आर. तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है तथा प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष 22 समूह जल प्रदाय योजनाओं की डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रगतिरत है। इन योजनाओं के अतिरिक्त अन्य जल प्रदाय योजनाओं को भी चिन्हित कर सर्वेक्षण एवं डी.पी.आर. बनाने का कार्य किया जा रहा है।

3.3 बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज फेस–2 के अंतर्गत मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा 07 समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें से 04 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं निविदा संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष 03 योजनाओं की डी.पी.आर. तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

4. भाग–चार

4.1 प्रचार–प्रसार गतिविधियाँः

- मरदानपुर समूह जल प्रदाय योजना के लिये जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मान. मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में नसरूल्लागंज, जिला सीहोर में 182 ग्रामों के सरपंच, पंच, सचिव ग्राम पंचायत एवं ग्रामीणों हेतु सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में लगभग 2000 जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने भाग लिया। सम्मेलन में पंचायती राज संस्थान के सदस्यों एवं ग्रामीणों को योजना की जानकारी एवं जल प्रदाय योजना के प्रति उत्तरदायित्वों की जानकारी दी।
- समूह जल प्रदाय योजनाओं में सम्मलित ग्रामों के परिवारों में समूह जल प्रदाय योजनाओं के प्रति स्वामित्व का भाव विकसित करने एवं जनजागृति उत्पन्न करने हेतु 41 अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन/इन्पेनलमेंट किया गया।
- प्रदेश में समूह जल प्रदाय योजनाओं के ग्रामों में पेयजल उपभोक्ता समितियों/तदर्थ स्वस्थ्य ग्राम समितियों के सदस्यों के क्षमतावर्धन हेतु यूनीसेफ के वित्तीय सहयोग से भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, ग्वालियर एवं रीवा में प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये गये, जिसमें 439 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- कार्यशालाओं में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण तकनीक, प्रतिभागियों का चयन, जल उपभोक्ता समितियों का क्षमतावर्धन, अभिलेखों का संधारण आदि विषयों पर प्रस्तुतीकरण किये गए एवं स्थानीय भाषा में नारे, नुक्कड़ नाटक आदि हेतु रणनीति तैयार की गई।
- मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित एवं लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग के अधिकारियों का समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन–संधारण विषय में क्षमतावर्द्धन हेतु डी.एफ.आई.डी. एवं एम.पी.टास्ट के वित्तीय सहयोग से तमिलनाडु राज्य के धरमपुरी एवं कृष्णापुरी जिलों की होगेनिकल समूह जल प्रदाय योजना का भ्रमण कार्यक्रम (Exposure visit) कराया गया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, बैतूल
आपका हार्दिक अभिनंदन करता है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला-कटनी (म.प्र.)
जल एवं
स्वच्छता रैली
जल ही जीवन है
शुद्ध पेयजल है जहां, स्वस्थ जीवन है वहां
आपका हार्दिक अभिनंदन/स्वागत करता है।

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मण्डल-स्तरीय प्रशिक्षण/ समीक्षा

"राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम"